वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

अगस्त (01-15), 2024

हिन्दू विश्व

क्यों आवश्यक है जनसँख्या नियंत्रण कानून?

राजकोट में 27 जून को आत्मीय यूनिवर्सिटी के सभागृह में आयोजित समरसता संगम कार्यक्रम को संबोधित करते विहिप सह संगठन महामंत्री श्री विनायक राव देशपाण्डे

मंगलौर दक्षिण कर्नाटक में आयोजित 'एक संवाद बैठक' को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे तथा उपस्थित अनेक राजनीतिक नेता, अग्रणी डॉक्टर, उद्योगपति तथा सामाजिक सेवा संगठनों के पदाधिकारीगण

ब्रज प्रान्त के शाहजीपुर में बाढ़ राहत कार्य करते विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ता

मुक्तसर पंजाब में हिन्दुओं को हिंसक बताने के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन व प्रदर्शन

हिन्दू विश्व
राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

हे सर्व उत्पादक सवितादेव! आज हमारे लिए श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करें। अगला दिवस भी श्रेष्ठ सुख प्रदायक हो, इस प्रकार आप प्रतिदिन हमें उत्तम सुखों को प्रदान करें। आप विपुल धन एवं आश्रयों के अधिपति हैं। इस भावना के अनुसार हम श्रेष्ठ धनादि प्राप्त करें।

– ऋग्वेद

01–15 अगस्त, 2024
श्रावण कृष्ण - शुक्ल पक्ष
पिंगल संवत्सर
वि. सं. - 2081, युगाब्द- 5126

सम्पादक
विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक
मुरारी शरण शुक्ल
मो. - 7217685539

परामर्शदाता
सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा,
धर्मनारायण शर्मा, विजय कुमार,
रवि पराशर

व्यवस्थापक
श्री दूधनाथ शुक्ल
मो. - 09582555152

सज्जा
श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम, प्रभाग - 6
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495
hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए	$ 75 USD
वार्षिक डाक व्यय सहित	
एक प्रति	15/-
वार्षिक	300/-
त्रिवर्षीय	750/-
पंचवर्षीय	1,200/-
दसवर्षीय	2,250/-
पन्द्रह वर्षीय	3,100/-

वैधानिक सूचना

- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

@eHinduVishwa
@eHinduVishwa
@eHinduVishwa
कुल पेज - 28

जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्रांति का शंखनाद हो

अवैध धर्मांतरण राष्ट्र को बर्बाद करने का मार्ग	07
धर्मनिरपेक्ष भारत को यूसीसी से नहीं शरिया से चलाने की जिद्द	09
सनातन हिन्दू धर्म "हिंदुत्व" सर्वसमावेशी है	12
बाँग्लादेशियों को शरण देने की ममता बनर्जी की तड़प	14
बहुसंख्यक हिन्दू समाज की सभी मान्यताएं बुद्धियुक्त	16
हिंदू अनुष्ठानों में अक्षत का पवित्र महत्व	18
सन 2041 तब असम बन जाएगा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राज्य!	20
जनजाति लड़कियों को ढाल बना हो रहा 'भूमि जिहाद'	22
प्रांत सत्संग अभ्यास वर्ग	23
गुरुकुल प्रभात आश्रम में गंगावतरण महोत्सव और स्नातक सम्मेलन का भव्य आयोजन	24
मंगलौर में विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी परांडे के साथ 'एक संवाद बैठक' कार्यक्रम आयोजित	25
सविराम उपवास/रात्रि में फलाहार	26

सुभाषित

सम्पूर्ण कुंभो न करोति शब्दं अर्धोघटो घोषमुपैति नूनम्।
विद्वान कुलीनो न करोति गर्वं गुणैर्विहीना बहु जल्पयंति।।

जिस प्रकार से आधा भरा हुआ घड़ा अधिक आवाज करता है, पर पूरा भरा हुआ घड़ा जरा भी आवाज नहीं करता, उसी प्रकार से विद्वान अपनी विद्वता पर घमण्ड नहीं करते, जबकि गुणविहीन लोग स्वयं को गुणी सिद्ध करने में लगे रहते हैं।

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

पराजित राहुल गाँधी की बौखलाहट देश के लिए खतरनाक

राहुल गाँधी ने लोकसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि मोदी सरकार यदि तीसरी बार सत्ता में आई, तो देश में आग लग जाएगी। चुनाव के बाद देश में आग लगने भी लग गई, तो क्या यह सब जो हो रहा है, वह राहुल गाँधी को पहले से पता था? पाकिस्तानी आतंकवादी अब कश्मीर घाटी के स्थान पर जम्मू के हिन्दू गाँवों पर सुनियोजित हमले कर रहे हैं। इन दिनों आतंकवादी घटनाएँ बढ़ गई हैं। लगता है यह राहुल गाँधी को पहले से पता था, क्योंकि ये घटनाएँ मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से शुरू हुई हैं। इन दिनों हुई ट्रेन दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी राहुल गाँधी ने चुनाव से पहले ही किया था, जो अब सच सिद्ध हो रही है। ये ज्योतिषी हैं, या षड्यंत्रकारियों के राजदार? 60 साल तक देश पर राज करने वाले दस साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या आप देश में आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को चुन–चुन कर साफ कर दो, इससे पता चलता है कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली है काँग्रेस। काँग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है। अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटक में काँग्रेस के एक नेता ने देश के टुकड़े करने की बात कही। लेकिन काँग्रेस ने उन्हें सजा देने की बजाए, उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया। इसी काँग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय विपिन रावत जी का भी अपमान किया था। ऐसी काँग्रेस से देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। काँग्रेस तुष्टिकरण के दलदल में ऐसी धंस गई है कि कभी देशहित का सोच ही नहीं सकती। जब भाजपा सीएए के तहत माँ भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो काँग्रेस को तकलीफ होती है। देश के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, बाँग्लादेश से जो पिछड़े लोग आए हैं, वो इस देश के ही हैं।

राहुल गाँधी ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को वैसे ही रिजेक्ट कर दिया है, जैसे ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रिएक्ट किया है। ओबीसी दर्जा और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश उन्हें स्वीकार नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने स्टारप्रचारकों के लिए ये दिशानिर्देश दिया था। दिशानिर्देश के अनुसार, धार्मिक मुद्दों पर भेदभाव और अग्निवीर सहित कई मसलों पर बोलने से परहेज की सलाह दी थी।

चुनाव आयोग ने काँग्रेस को लिखे पत्र में कहा था कि वो संविधान को लेकर गलत बयानबाजी न करे... जैसे, भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। और ऐसे ही अग्निवीर पर बयानबाजी करके डिफेंस फोर्स का भी राजनीतिकरण न किया जाये।

किन्तु राहुल गाँधी न तो चुनाव आयोग की सुनने वाला है और न संविधान का आदर करने वाला है, यह उनकी केवल अपनी सत्ता की तड़प है। सत्ता लगातार हाथ न आने से काँग्रेस के नेताओं के साथ–साथ वह भी बौखला गये हैं। लगातार देश के खिलाफ बोलना, संविधान के विरोध में बोलना, कहीं देश की संप्रभुता को ललकारना तो नहीं है। राहुल गाँधी की यह बौखलाहट देश के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

काँग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है। अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटक में काँग्रेस के एक नेता ने देश के टुकड़े करने की बात कही। लेकिन काँग्रेस ने उन्हें सजा देने की बजाए, उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया। इसी काँग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय विपिन रावत जी का भी अपमान किया था। ऐसी काँग्रेस से देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। काँग्रेस तुष्टिकरण के दलदल में ऐसी धंस गई है कि कभी देशहित का सोच ही नहीं सकती।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्रांति का शंखनाद हो

ललित गर्ग

प्रतिवर्ष विश्व जनसँख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह दिवस 11 जुलाई, 1987 से मनाया जाता है, जब दुनियाँ की आबादी 5 अरब हो गयी थी। यह दिवस जनसँख्या वृद्धि, इसके विकास एवं स्थिरता पर प्रभाव के जटिल मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समूची दुनियाँ को एकजुट करता है और आयोजनात्मकता से आगे बढ़कर वैश्विक जनसँख्या वृद्धि की चुनौतियों और अवसरों पर वैश्विक संवाद और कार्रवाई को उत्प्रेरित करता है। यह सतत और संतुलित भविष्य प्राप्त करने एवं शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की जनसँख्या आठ अरब 11 करोड़ 88 लाख के लगभग है, जो वर्ष 2023 से 0.91 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। इसी अवधि में भारत की जनसँख्या एक अरब 44 करोड़ 17 लाख है, जो वर्ष 2023 से 0.92 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। भारत जनसँख्या के हिसाब से चीन को पीछे छोड़ कर विश्व में पहले नंबर पर आ गया है। चीन की वर्तमान जनसँख्या 1 अरब 42 करोड़ 51 लाख है। जनसँख्या में वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाब डालती है। जनसँख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, उस गति से आर्थिक विकास एवं अन्य विकास नहीं हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या के रूप में बड़ी चुनौती है।

बात जब जनसँख्या वृद्धि की हो रही है, तो दुनियाँ में भारत की बढ़ती जनसँख्या न केवल चौंका रही है, बल्कि एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। भारत अब दुनियाँ में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हो गया है, परेशानी में डालने वाली इस खबर के प्रति सचेत एवं सावधान होने के साथ सख्त जनसँख्या नियंत्रण नीति लागू करने की अपेक्षा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2023 में ही चीन से ज्यादा आबादी वाला देश हो गया था। जबकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल

2027 में भारत दुनियाँ की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। बढ़ती जनसँख्या की चिन्ता में डूबे भारत के लिए चार साल पहले ही दुनियाँ में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होना कोई गर्व की बात नहीं है। भारत के लिए बढ़ती आबादी एवं सिकुड़ते संसाधन एक त्रासदी है, एक विडम्बना है, एक अभिशाप है। क्योंकि जनसँख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। जनसँख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु इसके नियंत्रण के लिए कोरे कानूनी तरीके को एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता। इसके लिये सरकार को जनसँख्या पर तुरंत पारदर्शी एवं सख्त नियंत्रण के कदम उठाने के साथ, भारत के लिए प्रभावी जनसँख्या नीति को लागू करना, आम जनता की सोच एवं सँस्कृति में बदलाव लाना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी कुछ हो ही नहीं रहा है।

पूरी दुनियाँ की आबादी में अकेले एशिया की 61 फीसदी हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि जहाँ कम आबादी है, वहाँ ज्यादा संपन्नता है। भारत में दिन–प्रतिदिन जनसँख्या विस्फोट हो रहा है, इसी से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ने का कारण यही है, संसाधनों की किल्लत भी इसी से बनी हुई है। यही एक कारण भारत को दुनियाँ की महाशक्ति बनाने की, सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में सबको नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। इसलिए सरकार शीघ्र सुसंगत जनसँख्या नीति लागू करे। जिसको दिक्कत हो और ज्यादा बच्चे पैदा करके मनमानी करनी हो, उनके खिलाफ कानूनी सजा के प्रावधान किए जाएँ। यह एक अराष्ट्रीय सोच है कि अधिक बच्चे पैदा करके उनकी जिंदगी कष्ट में झोंकना। जब बच्चे को सुखी जिंदगी नहीं दे सकते, तो दूसरों के भरोसे उन्हें

पैदा करने की प्रवृत्ति शर्मनाक है। यह देखने में आ रहा है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ समुदाय बच्चे पैदा करने को लेकर रूढ़िवादी नजरिया अपनाए हुए हैं और उनकी प्रतिक्रिया में अन्य समुदायों के नेता भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत करने लगे हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। इस तरह जनसँख्या बढ़ोतरी की पैरोकारी करने वालों की निंदा की जानी चाहिए, चाहे वे किसी मजहब के हों। क्योंकि देश की तरक्की की सबसे बड़ी बाधा बढ़ती जनसँख्या ही है।

भारत में बढ़ती जनसँख्या को नियंत्रित करने में राजनीति एवं तथाकथित स्वार्थी राजनीतिक सोच बड़ी बाधा है। अधिकांश कट्टरवादी मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का अनुचित लाभ लेने के लिए अपनी सँख्या बल को बढ़ाने के लिये सर्वाधिक इच्छुक रहते हैं और इसके लिए कुछ राजनीतिक दल उन्हें प्रेरित भी करते हैं। ऐसे दलों ने ही उद्घोष दिया है कि "जिसकी जितनी सँख्या भारी सियासत में उसकी उतनी हिस्सेदारी।'' जनसँख्या के सरकारी आकड़ों से भी यह स्पष्ट होता रहा है कि हमारे देश में इस्लाम सबसे अधिक गति से बढ़ने वाला संप्रदाय बना हुआ है। इसलिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि ये कट्टरपंथी अपनी जनसँख्या को बढ़ा कर देश के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। सीमावर्ती प्रांतों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, कश्मीर आदि में वाकायदा पड़ोसी देशों से मुस्लिमों की घुसपैठ कराई जाती है और उन्हें देश का नागरिक बना दिया जाता है, यह एक तरह का "जनसँख्या जिहाद" है, क्योंकि इसके पीछे इनका छिपा हुआ मुख्य ध्येय है कि धर्मनिरपेक्ष भारत का इस्लामीकरण किया जाये।

हमारी जनसँख्या नियंत्रण संबंधी नीतियाँ बहुत उदार रही हैं, जिसकी वजह से हम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जरूरत के हिसाब से थाम नहीं पाए। चीन ने साल 1979 में ही एक संतान नीति को पूरी कड़ाई से लागू कर दिया था, इसका नतीजा हुआ कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कामयाबी मिली। ध्यान देने की जरूरत है कि साल 1800 में भारत की जनसँख्या लगभग 16.90 करोड़ थी। चीन आबादी के मामले में कभी भारत से लगभग दोगुना था। 1950 के बाद दोनों देशों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। साल 1980 में चीन एक अरब जनसँख्या तक पहुँच गया। इसके ठीक एक वर्ष पहले वहाँ एक संतान की नीति लागू हुई थी। भारत साल 2000 में एक अरब के आँकड़े के पार पहुँचा और अब चीन से आगे निकल गया है। चीन एक संतान की नीति को 2016 में वापस ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ आबादी पर नियंत्रण है, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय भावना, सँस्कृति और सोच, दोनों में बदलाव आ चुका है। लेकिन भारत में ऐसा न होने का कारण राजनीति एवं उसके द्वारा पोषित मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। इसके वितरीत विभिन्न मुस्लिम देश टर्की, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, सीरिया, ईरान, यू.ए.ई., सऊदी अरब व बाँग्लादेश आदि ने भी कुरान, हदीस, शरीयत आदि के कठोर रुढ़ीवादी नियमों के उपरांत भी अपने–अपने देशों में जनसँख्या वृद्धि दर नियंत्रित करने के कठोर उपक्रम किये हैं।

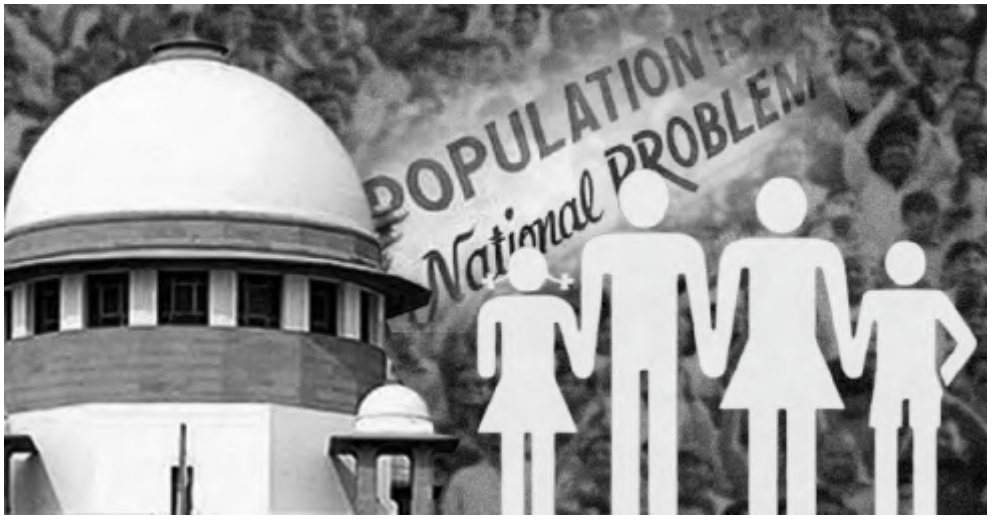

भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय करके जनसँख्या नियंत्रण के लिये प्रयास होने चाहिये। परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा ऐसे परिवार, जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है, उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए, स्त्री–शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाया जाए, परिवार–नियंत्रण के साधनों को मुफ्त में वितरित किया जाए, संयम को महिमा–मंडित किया जाए और छोटे परिवारों के लाभों को प्रचारित किया जाए। शारीरिक और बौद्धिक श्रम के फासलों को कम किया जाए। जनसँख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा है कि जनसँख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। अनियंत्रित जनसँख्या भी अघोषित आतंकवाद एवं जिहादी मानसिकता ही है, यह राष्ट्र की प्रगति एवं संसाधनों को जड़ करने एवं बांधने का जरिया है। क्योंकि लोगों के आवास के लिए कृषि योग्य भूमि और जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि जनसँख्या विस्फोट यूं ही होता रहा, तो लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा, मकान और पर्यावरण की विकराल स्थिति उग्रत्तर होती जायेगी। इससे बचने का एक मात्र उपाय यही है कि हम येन केन प्रकारेण बढ़ती आबादी को रोकें। इसके लिए चीन के द्वारा अपनायी गयी जनसँख्या नियंत्रण नीति पर भी ध्यान देना चाहिए। अन्यथा विकास का स्थान विनाश को लेते अधिक देर नहीं लगेगी।

अवैध धर्मांतरण
राष्ट्र को बर्बाद करने का मार्ग

पंकज जगन्नाथ जायसवाल

दुनियाँ मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ रही है, जिस पर तलवार की नोंक पर धर्मांतरण करने का आरोप है। एक खामोश क्रांति चल रही है, जिसके बारे में हममें से कोई भी जानना नहीं चाहता। यह इतनी सहज और सुनियोजित है कि लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है और वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। कई ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और जनजातियों को निशाना बना रही हैं। इन मिशनरियों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व उनकी वित्तीय और सहायता प्रणाली है।

200 से अधिक वर्षों से कई ईसाई मिशनरियों ने सनातन धर्म को मिटाने और भारत में ईसाई धर्म स्थापित करने की कोशिश की है। 19वीं सदी के मिशनरी और आज के मिशनरी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पहले वाले ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की, जबकि बाद वाले स्पष्ट कारणों से चुप हैं।

प्यू रिसर्च के अनुसार, अधिकांश भारतीय ईसाई (54%) कर्म में विश्वास करते हैं, जो ईसाई अवधारणा नहीं है। कई भारतीय ईसाई पुनर्जन्म (29%) और गंगा नदी की शुद्धिकरण शक्ति (32%) में भी विश्वास करते हैं, जो दोनों ही प्रमुख हिंदू सिद्धांत हैं। भारतीय ईसाइयों के लिए अन्य धर्मों से जुड़ी प्रथाओं का पालन करना भी लोकप्रिय है, जैसे दिवाली मनाना (31%), या माथे पर बिंदी लगाना (22%), जिसे आमतौर पर हिंदू, बौद्ध और जैन महिलाएँ पहनती हैं। वे आधिकारिक तौर पर भारत की आबादी का केवल 2.5% हिस्सा हैं। दक्षिण भारत देश के लगभग आधे ईसाइयों का घर है, जबकि भारत के विरल आबादी वाले पूर्वोत्तर में ईसाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जहाँ अधिकांश ईसाई आदिवासी समुदायों के सदस्य हैं।

यह विश्लेषण क्या कहता है? आधिकारिक सँख्या और अध्ययनों के अनुसार, सभी धर्मांतरित लोगों में से अधिकांश हिंदू हैं। एक परेशान करने वाली और चिंताजनक सच्चाई यह है कि इन औपचारिक धर्मांतरित लोगों के अलावा कई एससी, एसटी और अन्य हाशिए पर पड़े गरीब लोग, जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना धर्म नहीं बदला है, क्योंकि उन्हें डर है कि वे सरकारी लाभ खो देंगे, जिसका अर्थ है कि कुल धर्मांतरण बहुत अधिक है। धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन यह जानबूझकर हिंदुओं, देवताओं और सँस्कृति के प्रति घृणा पैदा करके किया जाता है। यह मानवता के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? समाज के लिए सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, अन्यथा यह हमारे समाज के दुर्बलों की सेवा यानी भगवान की सेवा होने के झूठे विश्वास की आड़ में मानवता और सनातन सँस्कृति को खत्म करने की एक और चाल है।

धर्मांतरण का मुख्य लक्ष्य भारत पर शासन करने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम करना है। दुर्भाग्य से संविधान में अभी भी इन धर्मांतरित हाशिए के ईसाइयों के लिए आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान शामिल नहीं है। बहुसँख्यक धर्मांतरित लोग 'ईसाई कट्टरपंथियों' की तरह काम करते हैं। उन्हें दूसरों को प्रेरित करना सिखाया जाता है। वे अपनी विवेकपूर्ण सोच कौशल खो चुके हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करें। उनमें से कई मंदिर से मिठाई नहीं खाते, मंदिर परिसर में नहीं जाते, अपने घरों या कार्यस्थलों में भगवान की छवियों की उपस्थिति पसंद नहीं करते और त्योहारों पर दूसरों को बधाई नहीं देते। 'ईसाई विशेषज्ञ' उन्हें बहुत अच्छे तरीके से 'धार्मिक शिक्षा' देते हैं। ब्रेनवॉशिंग बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। नए धर्मांतरित व्यक्ति शायद ही कभी धार्मिक कार्यक्रमों या रविवार की प्रार्थनाओं को छोड़ते हैं। उनकी जीवनशैली 'धार्मिक शिक्षकों'

द्वारा निर्धारित की जाती है। शुरुआत में कुछ दिनों के लिए, धर्मांतरित लोगों को आमतौर पर पैसे या अन्य उपहार मिलते हैं। धर्मांतरित व्यक्ति आमतौर पर उन लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास करते हैं, जो उनके करीब हैं, या, जिन्हें समस्याएँ हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग के समान ही काम करता है।

अब्राहमिक धर्मों में एक बुनियादी नियम है–अपने धर्म को एकमात्र सच्चे धर्म के रूप में फैलाना। एक धर्मनिष्ठ ईसाई का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करके, वह उन्हें अनंत नरक से बचा रहा है। ईसाई धर्म के पास प्रभावी विपणन तंत्र है। गरीबी, झूठे आख्यान और ज्ञान की कमी गरीब हिंदुओं को ईसाई मिशनरियों को अपनी पारंपरिक मान्यताओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ईसाई लगभग कुछ भी न करने के बदले में अनंत जीवन का सौदा करते हैं। जो हिंदू सनातन धर्म से परिचित नहीं हैं, उन्हें ईसाई धर्म अधिक तार्किक लगता है और वे तर्कों में आसानी से पराजित हो जाते हैं। पश्चिमी और गोरे लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर चीज अच्छी है, भले ही हीन मानसिकता हो।

'ईसाई चर्च के एक पादरी, जो मानवता में विश्वास करते हैं और धर्मांतरण का विरोध करते हैं, ने कहा–'भगवान की पूजा करने का केवल एक ही तरीका बताकर इस दुनियाँ को उबाऊ क्यों बनाया जाए? यह दुनियाँ हर चीज में विविधता से परिभाषित होती है। भगवान ने इस तरह से पृथ्वी का निर्माण किया है, तो आप इसकी विविधता और सुंदरता को क्यों खत्म करना चाहते हैं ? हिंदू धर्म में बहुत विविधता और सुंदरता है, और यह परंपरा विश्व धर्म विविधता की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि आप भारत से हिंदू धर्म को हटाते हैं, आप भारत की आत्मा को लूटते हैं, जो अपनी विविधता से प्रतिष्ठित है। मुझे अच्छा नहीं लगता, जब कोई बच्चे को उसकी माँ से दूर ले जाता है। किसी भी स्थिति में, मेरे इसाई भाइयों, दुनियाँ में पहले से ही बहुत सारे ईसाई हैं।'

'कौन सी कार्रवाई आवश्यक है ?'

किसी भी ऐसे मिशनरी संस्था, संगठना को वित्त पोषण देना बंद करें, जो खुद को सेवाभावी के रूप में पेश करते हैं और वेटिकन के सभी वित्त का उपयोग लोगों को जबरन ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करने और उन्हें लुभाने के लिए करते हैं।

हर गाँव, कस्बे में गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाले अधिक केंद्रीय विद्यालय बनाएँ (एनईपी 2020)। भगवद गीता, रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर और वह सब सिखाएँ, जो इस महान राष्ट्र को एकजुट करने और सँस्कृति को मजबूत करने में मदद करता है। ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म में किसी भी जबरन या धर्म–विरोधी विमर्श निर्माण कर धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित करें, देश में नाजायज मिशनरी गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध लगाएँ। 'विदेशी कार्यकर्ता और एजेंसियाँ किस तरह से फर्जी विमर्श का इस्तेमाल करके सामूहिक धर्मांतरण को अंजाम दे रही हैं और वे हिंदू लोगों को किस तरह से देखते हैं।'

'समय के संकेत' (Signs of the Times) शीर्षक वाले एक वीडियो में, जिसे चर्च ऑफ द हाइलैंड्स ने 22 अगस्त, 2022 को अपने आधिकारिक अकाउंट पर अपलोड किया, क्रिस होजेस ने भारत में हिंदू आबादी को 'खोए हुए लोग' के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि उनके एक मिशनरी ने उन्हें बताया कि भारत 'ग्रह पर उन जगहों में से एक है, जहाँ खोए हुए लोगों की सबसे बड़ी सँख्या है, जो असंबद्ध और अप्राप्य दोनों हैं।' उन्होंने उनके लक्ष्य को उजागर किया और बताया कि कैसे भोले–भाले लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए धोखा दिया जाता है। 'और उन्होंने खुद 3,931 आउटरीच टीमों को संगठित किया, जो 15 उत्तरी भारतीय राज्यों में प्रचार करने के लिए बिखर गए, और मसीहा के रूप में प्रकट हुए। इसलिए वे बीमारी का बहाना करनेवाले, साधारण ईसाइयों पर अपना हाथ रखते थे और बीमार लोग तुरंत ठीक हो जाते थे।' उन्होंने बताया कि कैसे मिशनरी कमजोर लोगों का शोषण करने के लिए भूत–प्रेत के कब्जे के अंधविश्वास का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उन्हें धर्मांतरण करना बहुत आसान हो जाता है।

pankajjayswal1977@gmail.com

'पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण'

मैं अभी भी सिख धर्म की आज की परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हुए मुगलों से हिंदुओं को बचाया। गुरु गोबिंद सिंह जी (दसवें गुरु) के दो बच्चों ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज उनके अनुयायियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। मुख्य कारण समझ की कमी और झूठे आख्यान हैं, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।

मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जो धर्मांतरण करना चाहते हैं कि वे सनातन धर्म पर गहन शोध करें। यदि कोई हमारे धर्मग्रंथों का अध्ययन करता है, तो निःसंदेह उन्हें पता चलेगा कि हमारा धर्म अधिक सार्वभौमिक और शांतिपूर्ण है। दूसरों की चिंता न करें। हिंदू धर्मग्रंथों में महारत हासिल करने और अपने पड़ोस में निर्दोष हिंदुओं (बौद्ध, सिख, जैन) की सहायता करने का प्रयास करें ताकि वे इसका महत्व समझ सकें।

यदि व्यक्ति कानून के अनुसार धर्मांतरण करना चाहता है, तो उसे अनुमति है, लेकिन झूठे आख्यानों से उनका दिमाग भ्रमित करना और उनके अपने धर्म के प्रति गहरी घृणा पैदा करना मानवता के विरुद्ध है। दूसरों का धर्मांतरण करने के उद्देश्य से मानवीय सेवा नहीं की जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम जागें और कानूनी और सामाजिक रूप से इस खतरे का सामना करें।

संजय सक्सेना, लखनऊ

धर्मनिरपेक्ष भारत को यूसीसी से नहीं शरिया से चलाने की जिद्द

मोदी सरकार द्वारा पहली जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने के बाद अब समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा गरमाने लगा है, जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूसीसी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यूसीसी विरोधियों के भी सुर मुखर होने लगे हैं। सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड तो पहले से ही यूसीसी का विरोध कर रहा था, अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समान नागरिक संहिता, उन्हें किसी दशा में स्वीकार नहीं है। उनकी कौम देश के कानून से नहीं चलेगी, बल्कि शरीयत कानून को ही मानेगी। बोर्ड ने धमकी वाले अंदाज में कहा है कि मोदी सरकार यूसीसी बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से चेतावनी भी दी गई कि यदि मोदी सरकार ने हमारा अनुरोध नहीं माना, तो मोहर्रम के बाद आर–पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोर्ड के यह तेवर तब हैं, जबकि भारतीय संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात लम्बे समय से कहता रहा है। अलग–अलग मौकों पर देश की तमाम अदालतें सरकार से यूसीसी लागू करने के लिए कानून बनाने की बात भी कह चुकी हैं। वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश में सबके लिए एक जैसे कानून में कोई बुराई नजर नहीं आती है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर ही माहौल गर्म रहा है। एक ओर जहाँ देश की बहुसँख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरजोर मांग उठाती रही है, वहीं अल्पसँख्यक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। इसी के मद्देनजर इस मुद्दे पर हर चुनाव में खूब राजनीति होती रही है, वहीं चुनाव बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन लगता है कि अब मोदी सरकार इस पर बड़ा निर्णय लेने का मन बना चुकी है। यूसीसी से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा। क्योंकि आज किसी भी समाज और कौम में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलना रेगिस्तान में नख्लिस्तान से कम नहीं है, लेकिन यूसीसी लागू होने से महिलाओं के सामने कदम–कदम पर आने वाली चुनौतियों का ग्राफ थोड़ा कम हो सकता है। मगर चिंता की बात यह है कि एक तरफ जहाँ अल्पसँख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडाबरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या

सॉंस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही खतरा बन जाए ? क्या एक एकीकृत राष्ट्र को 'समानता' की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही न करें ? इसका जबाव हॉं में है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश का संविधान देशवासियों को कुल मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने–जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)। बोलने, खाने–पीने और अपने विचार व्यक्त करने की हमें आजादी है, लेकिन इसी आजादी का जब लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं, तो देश की संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगता है। उस समय जनता को अधिकार के साथ उनकी जिम्मेदारी से भी अवगत कराया जाता है। समान नागरिक संहिता इसी क्रम की एक कड़ी मात्र है।

सवाल उठता है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं, तो कानून में भी एकरुपता से आपत्ति क्यों ? क्या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? अगर अब तक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश संजीदगी से नहीं हुई है, तो इसके पीछे अल्पसँख्यक वोट बैंक की सियासत तो नहीं है? बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति–निर्देशक तत्त्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।'

समान नागरिक संहिता में किसी के रीति–रिवाज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शादी, तलाक तथा जमीन–जायदाद के बँटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है, उसमें सभी धर्मों के लिए अलग–अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग–अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना–अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।

गौरतलब हो कि संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है। लेकिन जितनी बार मांग उठी है, उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ है। समान नागरिक संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है; लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे तीन तलाक की हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, शादी–विवाह की हो या महिलाओं की आजादी को लेकर हो, कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है, बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। जाहिर है कि ये सारी प्रणालियाँ संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। लिहाजा समान नागरिक संहिता के झंडाबरदार इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं।

दूसरी तरफ अल्पसँख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू कर, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए।

दरअसल समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठने के बाद भी, इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई मौके ऐसे आए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर नाखुशी जताई है। 1985 में शाह बानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जबकि पिछले वर्ष ही तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी इस मुद्दे को हवा मिली। लेकिन सवाल है कि इस मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो सकी है? दरअसल भारत का एक बहुल सँस्कृति वाला देश होना, इस रास्ते में बड़ी चुनौती है। हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ एक सँस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक अनुबंध माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति–रिवाज भी अलग–अलग हैं।

मौजूदा वक्त में गोवा और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। जाहिर है कि इसके लिए काफी प्रयास किए गए होंगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है, तो इसे लागू करना मुमकिन हो सकता है। दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति भी इस मुद्दे पर संजीदगी से पहल न होने की एक बड़ी वजह है। एक दल जहाँ समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताता रहा है, वहीं दूसरी पार्टियाँ इसे अल्पसँख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति बताती रही हैं। जाहिर है कि एक दल को अगर वोट बैंक के खिसक जाने का डर है, तो दूसरे को वोट बैंक में सेंध लगाने की फिक्र है। दरअसल सियासी दलों का यह डर पुराना है।

बता दें कि यूसीसी की तरह ही 1948 में जब हिन्दू कोड बिल संविधान

सभा में लाया गया, तब देश भर में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ था। बिल को हिन्दू सँस्कृति तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था। सरकार इस कदर दबाव में आ गई कि तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता। हमें समझना होगा कि जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा, तो देश के सियासी दल वोट बैंक वाली सियासत भी नहीं कर सकेंगे और भावनाओं को भड़का कर वोट मांगने की सियासत पर भी लगाम लग सकेगी।

हमें यह भी समझना होगा कि अगर राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सके और उसका उन्मूलन करने में कामयाब हो सके, तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने धर्म के भीतर की कुरीतियों की फिक्र थी। लिहाजा धर्म के रहनुमाओं को ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसे देश में सँस्कृति की बहुलता होने से न केवल निजी कानूनों में बल्कि रहन–सहन से लेकर खान–पान तक में विविधता देखी जाती है और यही इस देश की खूबसूरती भी है। ऐसे में जरूरी है कि देश को समान कानून में पिरोने की पहल अधिकतम सर्वसम्मति की राह अपना कर की जाए।

बहरहाल बात शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूसीसी के विरोध की करें, तो इसकी अध्यक्षता करते हुए मौलाना सैयद साएम मेहंदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर दो साल से केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस दिशा में न बढ़ा जाये, शिया कौम का कानून शरीयत है, सभी उसे मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। कोई शिया कचहरी या थाना में न जाये, ये संभव नहीं है, तब ऐसे कानून को लाया ही क्यों जाए? उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजा है, ये सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि शिया कौम सरकार की खुशामद करें। इसके लागू होने से देश में अमन–चैन कायम नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही सैयद मेहंदी ने कहा कि आठ जुलाई से मोहर्रम शुरू हो रहा है। इसी दौरान कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, शिया कौम को इस यात्रा से दिक्कत नहीं है, प्रदेश सरकार कांवड़ियों को सुविधाएँ भी दे रही है।

मेंहदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील है कि मोहर्रम में जहाँ ताजिये रखे या उठाये जाते हैं, जहाँ मजलिसें होती हैं या जुलूस निकलते हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये जाएँ, ताकि पूरे अमन तरीके से जुलूस निकल सकें। वहीं बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि यूसीसी से हमारे अधिकारों व पर्सनल लॉ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास का नारा लगाती है, इसको ध्यान में रखकर कानून पर फिर से विचार करके, इसे लागू न कराया जाए। मोहर्रम पर बेहतर इंतजाम करने के लिए बोर्ड की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजा गया है।

इस मौके पर मौलाना जाफर अब्बास ने कहा कि हम यूसीसी को डरकर मानने वाले नहीं हैं, हमारी कौम ने जालिमों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया है, अब फिर मुकाबला करने को तैयार हैं। अब कौम को इतना मजबूत करना होगा कि कोई अदालत में न जाये। वे दूसरों की बैसाखी पर नहीं अपने शरीयत के हिसाब से चलेंगे।

skslko28@gmail.com

समरसता संगम आयोजित

विश्व हिंदू परिषद, सौराष्ट्र प्रांत राजकोट महानगर द्वारा 27 जून 2024, गुरुवार को सायं 6.00 बजे, आत्मीय यूनिवर्सिटी के सभागृह में संपन्न हुआ। विशेष रूप से विविध जाति, समाज के प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति विशेष उपस्थित रहे। वाल्मीकि समाज के युवाओं द्वारा श्री विनायक राव जी का जयघोष के साथ सामूहिक रूप से स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति–समाज के अध्यता, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सँस्कृत विभाग के प्रोफेसर श्री राजा भाई काथड़ जी विशेष उपस्थिति रहकर आह्वान किया, हिंदू समाज में अस्पृश्यता नाबुदी के लिए जल्द से जल्द हिंदू समाज को मिलकर कार्य करना होगा। यह अंतिम ट्रेन है यह छूट न जाए अन्यथा हिंदू समाज को दुरगामी नुकसान सहना होगा।

इस समरसता संगम कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह संगठन मंत्री श्री विनायक राव जी ने पधारे हुए समाज अग्रणियों को हिंदू समाज में यह छुआछूत की विषमता दूर हो उसके लिए तथाकथित सवर्ण समाज का प्रबोधन एवं सामूहिक प्रयास करने के लिए आह्वान किया। आज के हमारे अनुसूचित समाज के बंधुओं को 'धर्मयोद्धा' कहते हुए उनके गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया।

कार्यक्रम में विशेष रूप से क्षेत्रीय मंत्री श्री अशोक भाई रावल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रंगराजे जी, क्षेत्रीय समरसता प्रमुख रसेश भाई रावल, सौराष्ट्र प्रांत के प्रांत प्रमुख भरत भाई मोदी, प्रांत मंत्री भूपत भाई गोवानी, सहमंत्री देव जी भाई रावत, रसिक भाई कंजरिया, संगठन मंत्री श्री किरीट भाई मिस्त्री, और महानगर विश्व हिंदू परिषद एवं सामाजिक समरसता अभियान के सभी पदाधिकारी बड़ी सँख्या में उपस्थित रहे।'

प्रस्तुति : रसेश भाई रावल

सनातन हिन्दू धर्म "हिंदुत्व" सर्वसमावेशी है

डॉ. प्रवेश कुमार

भारत के विशाल हिदुत्व चिंतन धारा ने बिना किसी भेद के सभी को मित्रवत् रूप में ही देखा है, यही कारण है कि हम विश्व कल्याण की मंगल कामना करते हुए ''सर्वे भवंतु सुखिनः'' की बात करते हैं। इसीलिए हिदू सँस्कृति, जो भारत की सँस्कृति है, इसने अपने को इस्लाम से भी अलग नहीं किया। कोई पूजा वैसे भी कर सकता है, लेकिन उसमें और मुझमें एक ही तत्व है, हम एक ही हैं। भारत में समय–समय पर हिंदू सनातन धर्म को लेकर कुछ विमर्श होता रहता है, अक्सर वामपंथी सोच से उपजा विचार, हमारे मौलिक हिंदुत्व चिंतन पर छींटाकसी से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। इस लेख में मैंने प्रयास किया है कि विराट हिन्दू दर्शन पर बात हो सके।

हमारे वामपंथी बौद्धिक जमात द्वारा इस्लाम के कट्टरवादी स्वरूप को भी विशेष रियायत देने वाले उनके विमर्श पर भी कुछ तथ्य रखना। भारत के वर्षों के इतिहास को यदि देखा जाए, तो यहाँ पर तमाम पंथिये विभेद रहे हैं, हिंदू मत में ही हम शैव, वैष्णव एवं शाक्य (शक्ति पूजक) मतों को पाते हैं। इतने भेद होने के बावजूद भी भारत के हिंदुत्व विचाररूपी छतरी के तले सब एक होकर साथ–साथ रहते हैं। ये ही हिन्दू तत्व भारत और भारत की सनातन सँस्कृति को सबसे भिन्न करती है। अगर हम दुनियाँ के इतिहास को देखें, तो ये स्पष्ट दिखता है कि एक पंथ के मनाने वाले लोगों ने दूसरे पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों को अपना शत्रु ही माना है।

वहीं भारत के विशाल हिंदुत्व चिंतन धारा ने बिना किसी भेद के सभी को मित्रवत् रूप में ही देखा है, यही कारण है कि हम विश्व कल्याण की मंगल कामना करते हुए ''सर्वे भवंतु सुखिनः'' की बात करते हैं।

इसीलिए हिंदू सँस्कृति जो भारत की सँस्कृति है, इसने अपने को इस्लाम से भी अलग नहीं किया। कोई पूजा वैसे भी कर सकता है, लेकिन उसमें और मुझमें एक ही तत्व है, हम एक ही हैं। यही एकत्व का भाव ही तो अपना भाव है, इसलिए हमने और हमारे विचार ने किसी को अपना शत्रु नहीं माना। हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया, हमें विदित है कि दुनियाँ के देशों में जहाँ भी इस्लाम या ईसाई मत के मानने वाले गए। वहाँ उन राष्ट्रों के जनमानस को कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने पंथ में पूरी तरह मतांतरित कर दिया, उन राष्ट्रों की सँस्कृति तक को नष्ट कर दिया।

वहीं हम यह भी देखें कि भारत ही ऐसी भूमि है, जहाँ लोगों ने वर्षों अत्याचार सहना स्वीकार किया, लेकिन अपना हिन्दू तत्व नहीं त्यागा। इसलिए हम कहते हैं कि हिन्दू कोई पंथ से या केवल पूजा से जुड़ी चीज नहीं है, ये एक ''धर्म'' है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये धर्म, पंथ से कैसे भिन्न है, तो हम देखें कि पंथ केवल एक पूजा पद्धति से जुड़ी हुई है। जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन में अनुष्ठानिक कार्यों के सम्पादन से जुड़ा है या यूं कहें कि यह इसका प्रमुख हिस्सा है। वहीं धर्म अपने स्वरूप में अधिक विशाल है, धर्म वर्तमान के अब्राह्मिक रिलिजनों से भिन्न है। ये रिलिजन कभी धर्म नहीं हो सकता। रिलिजन को बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ''किसी रिलिजन के लिए तीन चीजें होनी बेहद जरूरी है, एक किताब, एक पैगम्बर, एक पूजा पद्धति ये तीन आधार आपको किसी भी पंथ या रिलिजन में मिलेंगे, लेकिन वहीं

भारत में देखें, तो यहाँ के हिन्दू धर्म में क्या कोई एक पूजा की पद्धति है? क्या कोई एक ही पवित्र पुस्तक है? जिसे सारे हिन्दू मान लें, क्या कोई एक ही भगवान है? तो ये तीनों ही प्रश्न हिन्दू धर्म के सामने बे–उत्तर हो जाते हैं। परंतु ये सब आपको इस्लाम एवं ईसाई अन्य पंथों में मिलेगा, परंतु क्या हिन्दू धर्म में ऐसा है, तो उत्तर आता है, नहीं, इसलिए हिन्दू एक विचार है, दर्शन है और जीवन वैसे चलना चाहिए, इसका दिशा–निर्देश देने वाला तत्व है। ये एक धर्म है, जो आज का प्रचलित रिलिजन नहीं है, सभी को अपने भीतर समेट लेने वाला है।

हम हिंदू हैं, इसलिए हम कट्टर नहीं, हम सर्वसमावेशी हैं।

हम ''एकम सत विप्रा बहुदा वदन्ति'' का मंत्र देते हुए सत्य एक है, बताने वाले भिन्न हैं, इसे मान कर सभी का सम्मान करते हैं। हम देखें कि हमारी हिंदू सँस्कृति, जिसे महात्मा गाँधी कहते हैं कि मेरे अभिमत में किसी भी सँस्कृति का खजाना इतना समृद्ध नहीं है, जितना कि हमारा है। हमने इसका मूल्य संज्ञापित नहीं किया है, यदि हम अपनी सँस्कृति अनुपालन नहीं करते हैं, तो एक राष्ट्र के रूप में हम आत्महत्या कर रहे हैं''। नासमझ लोग भारत की हिन्दू सँस्कृति को ''डिस्मेंटल हिदुत्व'' कह कर, उस पर आधारित पाठ्यक्रम बना कर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की बात करते हैं। ये हमारी सँस्कृति है क्या? तो उत्तर आता है, सनातन हिंदू ही तो अपनी सँस्कृति है, जिस सनातन हिदू सँस्कृति को अरविंद घोष भारत की राष्ट्रीयता मानते हैं, जिस हिंदू को डॉ. हेडगेवार भारत की राष्ट्र अस्मिता मानते हैं। उसी हिन्दुत्व चिंतन धारा को विवेकानन्द ने भी दुनियाँ को बताया। लेकिन वही इस्लाम को लेकर बात करी जाए तो भाजपा के प्रवक्ता द्वारा एक टिप्पणी ने पूरी दुनियाँ में आतंक का एक वातावरण निर्मित कर दिया। तमाम मुस्लिम कट्टरपंथियों ने नूपुर शर्मा का सिर काटने और ना जाने क्या–क्या करने की बातें कहना शुरू कर दिया। हम देखें कि इस्लामिक देशों के ईश निंदा कानून ने कितने ही लोगों को या तो मार दिया अथवा वे जेलों में बंद हैं। अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान का ''ईश निंदा'' का कानून किस तरह से आठ वर्ष के बच्चे को भी अपराधी घोषित कर देता है। मुस्लिम पंथ के मनाने वाले कहते हैं कि ''अगर हमारे नबी को कुछ कह दिया, तो हम उस शख्स की गर्दन काट देंगे''। क्या कभी आपने सुना है कि किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया? क्या कभी हिन्दूओं ने मुस्लिम एवं अल्पसँख्यक समाज पर एवं उनके पूजा स्थलों को तोड़ा है? क्या उनके देवी–देवताओं पर हमने कोई अभद्र टिप्पणी की? लेकिन मुस्लिम समाज के नेताओं ने क्या कोई कमी छोड़ी। अभी हाल में काशी के अविमुक्तेश्वर मंदिर के प्राचीन शिवलिंग को लेकर क्या–क्या अभद्र टिप्पणियाँ की गईं। इसीलिए इस्लाम को लेकर देश के जनमानस में एक गुस्सा पैदा हुआ, यही कारण है कि वर्षों मुस्लिम कहीं पर नमाज कर लेते थे, आज हिंदू समाज इस नमाज का भी विरोध कर रहे हैं। जब हिन्दू सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, तो इस देश का मुस्लिम क्यों ''ला इल्लाहे इल अल्लाह'' यानि की पूजने योग्य केवल एक है, यह तो साफ–साफ एकांगी दृष्टि को दिखाता है। वहीं हम देखे कि कुरान सुरा–4, अननिसा, पारा–5 की आयत कहती है, ''वे अल्लहा से हटकर बस कुछ देवियों को पुकारता है और वे तो बस सरकश शैतान को पुकारते हैं''। इसीलिए पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ''इस्लाम एक बंद निकाय है।'' वहीं स्वामी विवेकानन्द ने भारत में हिंसा के मूल में इस्लामिक कट्टरता को माना। हम देखें, तो महात्मा गाँधी तक इस्लाम के इस एकांगी चरित्र को उजगार करते हुए कहते हैं ''ज्यादातर झगड़ों में मुस्लिम ही होते हैं, ये धींगा–धांगी करने वाले हैं''। इसलिए भारत में इस्लाम को अपने पूर्वग्रहों को त्याग ये कहना होगा कि ''हमारा पंथ मुस्लिम है, हमारा धर्म सत्य सनातन है, वहीं हमारी सँस्कृति हिन्दू है''।

(लेखक सहायक प्रोफेसर, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का केन्द्र, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली।)

मुक्तसर पंजाब में हिन्दुओं को हिंसक बताने के विरोध में राहुल गाँधी का पुतला दहन व प्रदर्शन

मुक्तसर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुक्तसर द्वारा राहुल गाँधी द्वारा पिछले दिनों संसद में हिंदुओं को हिंसक बताने के विरोध में पुतला दहन किया। विश्व हिन्दू परिषद के बठिंडा विभाग संगठन मंत्री साहिल वालिया ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में भारत विरोधी विदेशी षड्यंत्र में लिप्त प्रतिपक्ष काँग्रेस नेता राहुल गाँधी द्वारा संसद में हिंदुओं को निशाना बनाकर अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा को दर्शाते हुए हिंदू विरोधी बयान दिया गया है, जिससे समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँची है। हिंदू कोई जाति सूचक या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, अपितु मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबी हुई काँग्रेस और उसके नेता राहुल गाँधी ने हिंदुओं पर जो टिप्पणी की है, वह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसी है। भारत माता को लहूलुहान करने के लिए इस प्रकार के व्यक्ति को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

ahluwaliasahil54@gmail.com

बाँग्लादेशियों को शरण देने की ममता बनर्जी की तड़प

मुरारी शरण शुक्ल
सह संपादक (हिन्दू विश्व)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाँग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए तड़पती हुई दिखाई दे रही हैं। यह काम वो पूर्व में भी करती रही हैं। उनके इस कृत्य के कारण पश्चिम बंगाल का जनसँख्या संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। सीमावर्ती 8 जिलों उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में 35 से 40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी हो गई है। हुगली, बर्धमान व बीरभूम जिला अब इनके नए ठिकाने के रूप में उभरे हैं। राजधानी कोलकाता में भी तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम जनसँख्या। ममता का यह अल्पसँख्यक प्रेम वस्तुतः उनका बोट बैंक का प्रेम है। जैसे ही मुस्लिम घुसपैठिए भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, जमीयत उलेमा–ए–हिन्द, जमायते इस्लामी, पोपुलर फंट ऑफ इंडिया, तबलीगी जमात जैसे संगठन के लोग मिलजुलकर उन घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कॉर्ड इत्यादि बनवा देते हैं। इस प्रकार ये घुसपैठिए ममता बनर्जी जैसे नेताओं के मतदाता बन जाते हैं। इनकी सँख्या जितनी बढ़ेगी, ममता के मतदाता उतने ही अधिक हो जायेंगे और इनके उम्मीदवारों के जीत की सम्भावनाएँ उतनी अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए ममता बनर्जी बाँग्लादेश में चल रही हिंसा को, अपने लिए अवसर के रूप में देख रही हैं।

बाँग्लादेश में चल रही हिंसा का कारण

1971 के बाँग्लादेश मुक्ति संघर्ष में भाग लेने वाले परिवारों के लोगों के लिए, बाँग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। बाँग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56 प्रतिशत आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। 2018 में सरकार ने यह आरक्षण हटा दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और रविवार को आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30 प्रतिशत था। बाकी 2 प्रतिशत में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93 प्रतिशत नौकरियाँ मेरिट के आधार पर मिलेंगी।

ममता का यह अल्पसँख्यक प्रेम वस्तुत: उनका बोट बैंक का प्रेम है। जैसे ही मुस्लिम घुसपैठिए भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, जमीयत उलेमा–ए–हिन्द, जमायते इस्लामी, पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तबलीगी जमात जैसे संगठन के लोग मिलजुलकर उन घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कॉर्ड इत्यादि बनवा देते हैं। इस प्रकार ये घुसपैठिए ममता बनर्जी जैसे नेताओं के मतदाता बन जाते हैं।

हिंसा कब से शुरू हुई?

हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद से ही बाँग्लादेश में हिंसा आरम्भ हो गया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार अबतक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा अभी भी जारी है। बाँग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 4,500 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। छात्रों को बुधवार तक हॉस्टल खाली करने को कहा गया है।

मुस्लिम घुसपैठियों की राह देख रही ममता

ममता बनर्जी टकटकी लगाए बैठी है कि यह हिंसा और भड़के, लोग भारी सँख्या में हताहत हों और बाँग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल आ जायें सभी लोग, जिससे उपरोक्त मुस्लिम संगठनों की

सहायता से ममता का वोट बैंक और बढ़ जाए, ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत बढ़ जाए।

ममता ने दिया संयुक्त राष्ट्रसंघ के समझौते का हवाला

ममता बनर्जी ने कहा है कि बाँग्लादेश से शरणार्थी यदि आयेंगे, तो उनको संयुक्त राष्ट्रसंघ के समझौते के अनुसार शरण दिया जाएगा। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश की प्रधानमंत्री नहीं हैं। नागरिकता देने या विदेशी नागरीकों को शरण देने का काम केवल केन्द्र सरकार कर सकती है, इस विषय में राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

नागरिकता और शरण के प्रावधान

लोकसभा में सांसद सुगाता रॉय के एक सवाल पर गृह मंत्रालय ने 16 मार्च 2021 को अपने जवाब में कहा था कि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के यूएन समझौते और उस पर 1967 के प्रोटोकॉल पर सिग्नेटरी नहीं है। मंत्रालय का कहना था कि सभी विदेशी नागरिक (शरण चाहने वालों सहित) को फॉरेनर्स एक्ट–1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट–1939, पासपोर्ट (एंट्री इंटू इंडिया) एक्ट–1920 और सिटिजनशिप एक्ट–1955 के तहत शासित किया जाता है।

गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा था, "हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा 2011 में एक SoP जारी की गई थी, जिसमें 2019 में संशोधन भी किया गया था और इस एसओपी के तहत देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ शरणार्थियों के साथ डील करती हैं। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भारतीय नियमों की तरह किसी भी विदेशी को "शरणार्थी" का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है।

murari.shukla@gmail.com

ब्रज प्रान्त के शाहजीपुर में विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बाढ़ राहत कार्य किया

विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शाहजीपुर महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने ''कान्हा गौशाला'' (निकट पाकड़ चौकी केरूगंज) में करीब 300 गाय, जो बाढ़ के प्रकोप में फंसी हुई थीं, शासन प्रशासन ने भी गायों की कोई सुध नहीं ली थी, ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू परिषद–बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुबह 7.00 बजे पाकड़ चौकी केरूगंज पहुँचकर, गाय माता को इस विपत्ति के समय में सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु राहत कार्य प्रारम्भ किया।

तीन दिन तक लगातार विश्व हिंदू परिषद शाहजीपुर महानगर के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष श्री अभिनव ओमर एवं महानगर मंत्री श्री अश्नील

कुमार सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में 1962 के बाद आई सबसे भयानक बाढ़ में सेवा कार्य करते हुए नगर स्थित कान्हा गौशाला जहाँ तीन दिन से किसी का कोई संपर्क नहीं था, उसमें पहुँचकर गौ सेवा करते हुए एवं नाव से गाय के छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले आए।

बहुसंख्यक हिन्दू समाज की सभी मान्यताएं बुद्धियुक्त

अशोक 'प्रवृद्ध'

मनुष्य शरीर में एक मन नामक यंत्र है। यह यंत्र बहुत चंचल है। श्रीमद्भगवद् गीता में भी मन को बहुत चंचल कहा गया है। मन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते रहने के कारण मन में चंचलता होने लगती है। अनेक प्रकार के प्रभाव, अनेक मनुष्यों के मनों पर विभिन्न रूप में अंकित होते रहते हैं, जिसके कारण मनुष्यों में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इस मन के कारण ही मनुष्यों में परस्पर विरोध की भावना पनपती है। मन की उस चंचलता को शांत करने का एक यंत्र मनुष्य के शरीर में है। उस यंत्र को बुद्धि कहा जाता है। जिसका मन, बुद्धि के अधीन हो जाता है, उसे मानव समाज में विभिन्नता एक वस्तुस्थिति के रूप में दिखाई देने लगती है। फिर उस विभिन्नता में किस प्रकार समन्वय हो, वह यह समझने लगता है। ईश्वर की कृपा और हिन्दू समाज के उत्कट विद्वानों के उपदेशों से बहुसँख्यक हिन्दू समाज में यह समन्वय प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यही हिन्दू समाज की उत्कृष्टता है। यह उत्कृष्टता भी हिन्दू समाज की मान्यताओं से है, जो अन्य मतावलंबियों में दिखाई नहीं देता है, जिसे बुद्धिवाद कहा जाता है। मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षणों में बुद्धि को भी एक लक्षण माना गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत के बहुसँख्यक हिन्दू समाज की मान्यताओं में से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो किसी व्यक्ति विशेष के कथन से संबंधित हो। जो कुछ भी उन मान्यताओं में है, वह बुद्धियुक्त है। वह किसी के कहने पर अथवा श्रद्धा भक्ति से नहीं है। विगत एक सहस्त्र वर्ष के कतिपय संत, गुरुओं आदि की बात को छोड़ दिया जाए, तो इससे पूर्व हिन्दू समाज में यह कभी भी मान्य नहीं था कि अमुक बात, किसी ग्रंथ अथवा गुरु के मुख से कही जाने के कारण मान्य है। हिन्दू लोग ऋषियों और मुनियों की बातें तो करते रहते हैं। किन्तु उनकी बात तर्क और युक्ति पर आधारित होती थी। यहाँ तक की उपनिषदों का अध्यात्मवाद भी शुद्ध तर्क पर आधारित है। बौद्ध और जैन मतों के प्रादुर्भाव के साथ प्रथा में अंतर आया। तब हिन्दू समाज में श्रद्धा को तर्क पर वरीयता प्राप्त हुई। किन्तु उपनिषदों में जब कोई ज्ञानी अथवा ऋषि बात करता है, तो वह तर्कयुक्त बात करता है। मान्यता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, परंतु यह कभी नहीं माना गया कि वेद में तर्कहीन बात लिखी गई है। जैन और बौद्ध मतों के प्रादुर्भाव के उपरांत वेद के जो भाष्यकार हुए हैं, उनकी बात को छोड़कर पूर्व के आचार्यों में युक्तियुक्त बात ही दिखाई देती है। यही कारण है कि हिन्दू समाज की प्राचीन मान्यताएँ बुद्धियुक्त ही हैं। हिन्दू समाज की सर्वमान्य मान्यताओं में श्रद्धा से स्वीकार करने वाली कोई बात कहीं नहीं कही गई है। ये सब मान्यताएँ बुद्धिगम्य ही हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि अमुक ऋषि अथवा महात्मा या अवतार ने उनका बखान किया है। इसलिए माननीय है अथवा मानने योग्य है। हजरत ईसा तथा हजरत मोहम्मद के अनुयायियों में यह बात नहीं है। उनकी तो यह मान्यता है कि मजहब में अकल का कोई दखल नहीं है। अकल में दखल देना कुफ्र है। इसलिए जैसा–कैसा भी किसी ने कहीं कह दिया है, उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, किन्तु हिन्दुओं में यह बात नहीं है। यही कारण है कि जहाँ प्राचीन हिन्दू समाज में वाद–विवाद होते देखे गए हैं, वहीं दूसरे मजहब वालों में इसका अभाव देखा गया है। वहाँ तो कुरान अथवा हजरत की बात ही सर्वमान्य है। हिन्दू समाज की मान्यताओं की सर्वश्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि जहाँ–जहाँ और जब–जब अन्य मत वाले भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वहाँ–वहाँ तक वे हिन्दू मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। उदाहरणतः परमात्मा एक सर्वोपरि शक्ति है। वह जगत का संचालन कर रही है। उसको स्वीकार करने की बात हिन्दू मान्यता ही है; परंतु जहाँ परमात्मा को संसार का ज्ञान कराने के लिए उसके फरिश्ते जब्राहिल आदि घूमते रहते हैं, यह बात बुद्धिगम्य न होने से हिन्दुओं से भिन्न हो गई है और फरिश्तों के दिखाई न देने पर भी श्रद्धा से मानने की बात ही हो जाती है। अभिप्राय यह है कि जब–जब और जहाँ–जहाँ मानव समाज के व्यवहार में बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ

परिणाम हिन्दू मान्यताओं के स्वीकार किए जाने का होगा। इससे यह सिद्ध है कि हिन्दू मान्यताएँ सर्वश्रेष्ठ हैं, तथापि हिन्दुओं का कभी यह आग्रह अथवा दबाव नहीं रहा कि हिन्दू से इतर व्यक्ति भी इसको मानें ही। वे मानें अथवा न मानें यह युक्ति और तर्क का विषय है। यह किसी राजदंड अथवा सामाजिक व्यवहार का विषय नहीं है। हिन्दुओं में एक ही परिवार में लोगों के अलग–अलग देवी–देवताओं के पूजक होने और अलग रसोई में भोजन बनने पर भी उस घर में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता।

बुद्धिगम्य मान्यताओं में एक विशेष गुण है, वह यह कि बुद्धि के विकास से अथवा ज्ञान में वृद्धि के कारण पूर्व में स्वीकार की गई किसी बात के अशुद्ध प्रतीत होने पर उसको इस प्रकार छोड़ दिया जाता है, जैसे पुराने वस्त्र उतार कर रख दिए जाते हैं। इससे समाज में विवाद नहीं फैलता। राज–पाट के लिए झगड़ा होते देखे गए हैं। वह आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, किन्तु परमात्मा, उसके स्वरूप, कर्म की श्रेष्ठता अथवा हीनता के विषय में झगड़ा नहीं होते। कबीर, नानक, दादू, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति आदि के मानने वाले परस्पर इस प्रकार नहीं झगड़ते, जिस प्रकार मोहम्मद अथवा ईसा के मानने वाले परस्पर झगड़ते हैं, अथवा तोरेत या अंजील के मानने वालों में झगड़ा होता आ रहा है। हिन्दुओं में सैकड़ों ही देवी–देवता हैं। वे सब पूज्य हैं। तदपि सब अपने–अपने इष्ट देवता की श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं। परंतु इस कारण उनमें परस्पर कभी विवाद नहीं उठा, जैसा कि शिया और सुन्नी में निरंतर होते रहता है, अथवा जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट में होता है। गॉड और जहोंबा के मानने वालों में भी विगत दो हजार वर्षों से भी अधिक वर्षों से झगड़ा होता आ रहा है। भारत के हिन्दू समाज में भी मुसलमानों की एक कुरीति घर कर गई है। यह सिखों और निरंकारियों में है। वह सिखों और सहजधारियों अथवा अकालियों और नामधारियों में है। यह देन मुसलमानों की है। यह तब तक ही है, जब तक एक तोला भर भी श्रद्धा मन भर बुद्धि और युक्ति से अधिक समझी जाती रहेगी। मुसलमानों के भारत में आने से पूर्व इस देश में बौद्ध और जैन संप्रदायों के साम्राज्य स्थापित हुए थे। उससे पूर्व राज्य का न किसी संप्रदाय से संबंध होता था और न राजा स्वयं किसी मत का सहायक ही होता था। वह अपने मत से भिन्न मत वालों पर अपने मत को राज्य बल से कभी नहीं थोपता था। यही कारण है कि जैन अथवा बौद्ध मत के प्रचार के पूर्व वाममार्ग और द्वैत–अद्वैतवाद आदि का पालन स्वतंत्रता से होता रहा था। उनका प्रचार भी होता था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को भी अपने मत के प्रचार के लिए किसी भी राजा अथवा राज्य की ओर से किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। यह तो अशोक के अपने अतिनृशंस जीवन के उपरांत बौद्ध मत को संरक्षक बनाने पर प्राचीन मत के प्रति भेद–भाव रखने का व्यवहार हुआ। तब यह हुआ कि मत–मतांतरों में राज्य भी सहायक अथवा विरोधी होने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि परस्पर वैमनस्य फैलने लगा और बौद्ध राज्यों के ह्रास के उपरांत जो हिन्दू मतावलंबी राजा आए, उन्होंने भी हिन्दू मत–मतांतरों का राज्य की ओर से समर्थन किया। यह दूषित प्रथा न्यूनाधिक रूप में हर्षवर्धन के काल तक चलती रही। ऐसा माना जाता है कि सिंध पर मुसलमानी आक्रमण के समय सिंध के बौद्धों ने आक्रमण करने वालों की सहायता की थी। इसके उपरांत तो हिन्दू राज्यों का इस्लामी राज्यों के साथ संघर्ष उत्पन्न हो गया। तब से इस्लाम के व्यवहार का विरोध हिन्दू समुदाय और हिन्दू राज्यों की ओर से होता रहा। यह इस्लामी राज्यों की मान्यता की प्रतिक्रिया थी। आज भी हिन्दू समाज में मुसलमान के विषय में जो विरोध है, वह उनके मतावलंबी पाकिस्तानी व्यवहार के कारण है। पाकिस्तान में किसी गैर मुसलमान को मुसलमान के बराबर नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हिन्दू राज्यों की पराभव हुई। राजनीतिक पराजय तो हुई, किन्तु मत–मतांतरों की पराजय नहीं हुई। यही कारण है कि सात सौ वर्ष के इस्लामी राज्य काल में भी, छल–बल, कपट और प्रलोभनों का आश्रय प्राप्त होने पर भी मुसलमानों की सँख्या 5 से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाई थी। जहाँ ईरान, सीरिया, मिश्र आदि देशों में कुछ ही वर्षों में शत–प्रतिशत जनसँख्या मुसलमान हो गई थी, वहाँ भारत में मुसलमानों के सात सौ वर्षों के राज्य पर भी 5 प्रतिशत से अधिक जनता ने इस्लाम को ग्रहण नहीं किया था। यह मुसलमानी राज्य की निष्पक्षता के कारण नहीं, अपितु यह हिन्दू जीवन–मीमांसा की श्रेष्ठता के कारण था। इस्लाम का प्रचार ब्रिटिश राज्यों में अधिक तीव्र हुआ। इसका कारण भी इस्लाम की श्रेष्ठता नहीं थी। इसका कारण था कि अँग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जन सामान्य का अहिन्दुकरण। इसके उपरांत इस्लाम और इसाईयत द्रुतगति से उन्नति करने लगे। अँग्रेजी शिक्षा का एक प्रभाव यह भी हुआ कि हिन्दू समाज में संतान के लिए अरुचि उत्पन्न होने से औसत हिन्दू घटकों की सँख्या कम होने लगी। इस कारण भी हिन्दू–मुसलमान की जनसँख्या का अनुपात कम होने लगा।

हिंदू अनुष्ठानों में अक्षत का पवित्र महत्व

डॉ. आनंद मोहन
सहयोगी - डॉ. अग्रताबेन वधेल, सबरीन बशीर, डॉ. आकांक्षा शुक्ला, आलोक मोहन

हिंदू सँस्कृति में, अनुष्ठानों और समारोहों के गहरे आध्यात्मिक महत्व हैं, जिसमें अक्सर प्रथाओं और देवताओं का प्रसाद शामिल होता है। ऐसा ही एक प्रसाद, जिसे अक्षत के नाम से जाना जाता है, जिसमें अखंड और बिना पके चावल के दाने शामिल होते हैं। ये अनाज विभिन्न सँस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समृद्धि, उर्वरता और दिव्य कृपा का प्रतीक हैं।

अक्षत, सँस्कृत शब्द "अक्षत" से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'संपूर्ण' या 'अखंडित'। अनुष्ठानों में अखंड चावल के दानों का उपयोग हिंदू मान्यताओं में गहराई से निहित है, जहाँ पूर्णता और शुद्धता सर्वोपरि है। चावल के दानों की अखंड प्रकृति पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में, यह माना जाता है कि टूटी हुई या क्षतिग्रस्त वस्तुएँ नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं और रज–तम कणों से लदी होती हैं, जो अशुद्धता और संकट से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार, अखंड चावल के दानों का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भेंट शुद्ध बनी रहे और ब्रह्मांड से सकारात्मक, परोपकारी ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम रहे। यह विश्वास धार्मिक प्रथाओं में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की अखंडता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि उन्हें तोड़ना या नुकसान पहुँचाना नकारात्मक, तम ऊर्जा से प्रभावित कार्य माना जाता है।

अक्षत के आसपास की गहन मान्यताओं में से एक हिंदू धर्म में पाँच प्रमुख देवताओं : गणपति, दुर्गादेवी, शिव, श्रीराम और श्रीकृष्ण की आवृत्तियों को आकर्षित करने और संचारित करने की क्षमता है। माना जाता है कि ये तरंगें, जो एक बार अक्षत की ओर आकर्षित होती हैं, पृथ्वीतत्व (पूर्ण पृथ्वी सिद्धांत) और अपातत्व (पूर्ण जल सिद्धांत) के सिद्धांतों के माध्यम से सक्रिय और कार्यात्मक हो जाती हैं।

अनुष्ठानों के दौरान अक्षत छिड़कने की प्रक्रिया, विशेष रूप से पंचोपचारपूजा (पाँच–चरणीय पूजा अनुष्ठान) या षोडशोपचार पूजा (सोलह–चरणीय पूजा अनुष्ठान) के बाद, मूर्तियों और अनुष्ठान के घटकों के भीतर देवत्व का आह्वान करने और सक्रिय करने के लिए निर्मित की गई है। यह अधिनियम अक्षत को एक ऐसे माध्यम में बदल देता है, जो सभी देवता सिद्धांतों को शामिल करता है, जिससे यह पूजा में एक सर्वव्यापी तत्व बन जाता है। उन परिदृश्यों में, जहाँ अन्य कर्मकांड पदार्थ अनुपलब्ध हैं, अक्षत एक विकल्प के रूप में कार्य करता है, अनुष्ठान की पवित्रता और प्रभावशीलता को बनाए रखता है।

हिंदू समारोहों के दौरान पुजारियों या भक्तों को देवताओं, वेदियों या प्रतिभागियों पर रंगीन चावल के दाने छिड़कते हैं। यह अभ्यास केवल एक अनुष्ठानिक इशारे से अधिक है। यह दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद का आह्वान करने का एक गहरा कार्य है। जब देवताओं को अक्षत की पेशकश की जाती है, तो यह माना जाता है कि यह उनकी उदार ऊर्जा और कंपन को अवशोषित करता है। इस प्रक्रिया की

तुलना संगीत वाद्ययंत्रों में देखी गई अनुनाद घटना से की जा सकती है, जहाँ एक स्ट्रिंग द्वारा उत्सर्जित ध्वनि समान तारों को सहानुभूतिपूर्वक कंपन करने का कारण बन सकती है। इसी तरह, ऊर्जावान अक्षत इन दिव्य आवृत्तियों को घर में चावल के भंडार में स्थानांतरित करता है, इसे प्रसाद (धान्य भोजन) में बदल देता है, जिसका सेवन पूरे वर्ष किया जा सकता है। यह अधिनियम न केवल चावल को पवित्र करता है, बल्कि घर को निरंतर दिव्य आशीर्वाद, समृद्धि और सुरक्षा से भी प्रभावित करता है।

हिंदू अनुष्ठानों में पूर्णता की अवधारणा आध्यात्मिक और नैतिक अखंडता को शामिल करने के लिए भौतिक वस्तुओं से परे फैली हुई है। अक्षत के रूप में अखंड चावल के दानों का उपयोग आध्यात्मिक विकास और दिव्य संबंध के लिए आवश्यक पूर्णता और पवित्रता की स्थिति का प्रतीक है। यह सिद्धांत हिंदू जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिलक्षित होता है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य कृपा को आकर्षित करने के लिए पूर्णता और शुद्धता को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी वस्तु को तोड़ना, विशेष रूप से अनुष्ठानों के संदर्भ में, एक नकारात्मक कार्य के रूप में देखा जाता है, जो श्रेष्ठ देवता सिद्धांतों को आकर्षित करने की वस्तु की क्षमता को कम करता है। परिणामतः, उपासक को दिए गए लाभ और आशीर्वाद भी कम हो जाते हैं। यह विश्वास हिंदू पूजा में प्रसाद की अखंडता और शुद्धता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है, ताकि दिव्य कृपा और आशीर्वाद का पूर्ण वरदान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रमुख समारोहों और त्योहारों से परे, हिंदू भक्तों के बीच दैनिक पूजा प्रथाओं में अक्षत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर पर नियमित पूजा (प्रार्थना) के दौरान, अक्षत का उपयोग अक्सर शुभ शुरुआत को चिह्नित करने, परिवार के सदस्यों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने और घर के वातावरण को पवित्र करने के लिए किया जाता है। रोजमर्रा की पूजा के दौरान अक्षत छिड़कने का अभ्यास दिव्य उपस्थिति और जीवन के सभी पहलुओं में शुद्धता और पूर्णता बनाए रखने के महत्व की निरंतर याद दिलाता है। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा, अक्षत साँस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखती है। यह आमतौर पर विभिन्न जीवन की घटनाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि शादियों, जन्मों और गृहप्रवेश समारोह, नई शुरुआत के लिए दिव्य आशीर्वाद और समृद्धि के आह्वान का प्रतीक है। इन घटनाओं में अक्षत की उपस्थिति, दिव्य संबंध के माध्यम के रूप में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण जीवन संक्रमणों की सफलता और समृद्धि सुनिश्चित करने में इसके महत्व को दर्शाती है।

अक्षत का वैज्ञानिक महत्व

अक्षत की तैयारी के लिए, कच्चे चावल के साबुत अनाज को हल्दी और कुमकुम पेस्ट में मिलाया जाता है। माना जाता है, कि हल्दी चेहरे के बालों के विकास को कम करती है, मुंहासों को कम करती है और रंग में सुधार करती है। त्वचा देखभाल उत्पादों में पीले रंग का उपयोग किया गया है। टेट्राहाइड्रोकरक्यूमिन करक्यूमिन का एक ऑफ–व्हाइट हाइड्रोजनीकृत रूप है, जिसका उपयोग त्वचीय एंटीऑक्सिडेंट के रूप में किया जाता है। मॉइस्चराइजर में जोड़े जाने पर यह लिपिड की कठोरता को रोक सकता है। करक्यूमिनोइड्स एंटीऑक्सिडेंट, सुजन रोधि और त्वचा का रंग हल्का करना के रूप में कॉस्मेटिक क्षमता रखता है। करक्यूमिन जेल को छह महीने जैसे लंबे समय तक लागू होने पर वर्णक परिवर्तन, एवं अन्य त्वचा सम्बन्धित विचारों को खतम करने में सहायक होता है। यह डीएनए क्षति के साथ कोशिकाओं के एपोप्टोसिस को बढ़ावा दे सकता है, जो मृत त्वचा कोशिकाओं को कम करने में मदद करता है।

कुमकुम की तैयारी के लिए, हल्दी को सुखाया जाता है और थोड़ा सा चूना इस्तमाल किया जाता है, जो समृद्ध पीले पाउडर को लाल रंग में बदल देता है। कई वैज्ञानिकों के अनुसर कुमकुम लगाने के वैज्ञानिक लाभ हैं, जैसे यह चिंता और तनाव को कम करता है।

हिंदू अनुष्ठानों में अक्षत का उपयोग हिंदू धर्म को रेखांकित करने वाले साँस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की गहन अभिव्यक्ति है। अखंड चावल के दानों पर जोर पूर्णता, पवित्रता और अखंडता का प्रतीक है, जो दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान करने के लिए आवश्यक गुण हैं। अक्षत के अनुष्ठानिक उपयोग के माध्यम से, भक्त परमात्मा से जुड़ना, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना और अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं।

सन 2041 तक असम बन जाएगा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राज्य!

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा– देश के कई राज्यों में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है। आज वह प्रदेश धीरे–धीरे मुस्लिम बहुसँख्यक राज्य होने की ओर बढ़ रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। असम के सीएम ने कहा कि झारखंड के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, आज वह प्रदेश धीरे–धीरे मुस्लिम बहुसँख्यक राज्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि असम भी ऐसा ही प्रदेश है, जहाँ 40 प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि असम के असली मुसलमान महज 4 प्रतिशत हैं। 36 प्रतिशत बाँग्लादेश से आए हुए लोग हैं। ऐसे में साल 2041 तक असम सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल प्रदेश बन जाएगा। यह आज असम की हकीकत है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी 26 प्रतिशत है। धीरे–धीरे यह प्रतिशत भी हर 10 साल में 29 प्रतिशत की स्पीड से बंगाल में बढ़ रही है। असम और बंगाल को हम छोड़ दें, तो बाँग्लादेशी घुसपैठियों का अगला टारगेट झारखंड बना हुआ है। आज झारखंड के कई सारे जिलों में मुसलमानों की जनसँख्या 30 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। हिमंता सरमा ने कहा कि झारखंड में दो महीने बाद विधानसभा चुनाव है। झारखंड में हम और अधिक सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। इससे पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने रांची के रिम्स अस्पताल में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। साथ ही अस्पताल में भर्ती जवानों से उनका हालचाल जाना।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार (19 जुलाई) को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में करीब 30 प्रतिशत बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर 10 साल में मुसलमानों की आबादी 11 लाख तक बढ़ जाती है। वहीं, हिंदू समुदायों की आबादी सिर्फ 16 प्रतिशत बढ़ रही है।

सीएम सरमा ने कहा, "2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हर 10 साल में असम में मुस्लिम आबादी 11 लाख बढ़ जाती है। यह हिमंत बिस्वा सरमा का डेटा नहीं है, बल्कि भारतीय जनगणना का डेटा है। ये डेटा पब्लिश हो चुका है।" सरमा ने कहा कि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में लगभग 16 प्रतिशत बढ़ रही है।

सीएम सरमा के आंकड़ों में कितना दम?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक,

2011 की जनगणना के अनुसार, असम में कुल मुस्लिम आबादी 1.07 करोड़ थी, जो कुल 3.12 करोड़ निवासियों का 34. 22 प्रतिशत थी। राज्य में 1.92 करोड़ हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 61. 47 प्रतिशत था।

असम सरकार की योजना

असम सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसँख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ''कई लोगों ने हमारी मदद भी की है। अगर 'निजुत मोइना' योजना सफल होती है, तो लड़कियाँ चिकित्सक और इंजीनियर बनेंगी। फिर वे (अनगिनत बच्चों को) जन्म नहीं देंगी।''

इस योजना के तहत असम सरकार बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को अगले पाँच वर्षों तक 2,500 रुपये तक का मासिक मानदेय प्रदान करती है। उन्होंने कहा, "पिछले तीन सालों में हमारी सरकार के उठाए गए कदमों से हमें कुछ परिणाम मिलेंगे, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है।" उन्होंने ये भी कहा, ''2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता।''

मुस्लिम जनसँख्या रोकने को राहुल गाँधी से किया आग्रह

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा,'' मुसलमानों की जनसँख्या वृद्धि को रोकने में काँग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गाँधी जनसँख्या नियंत्रण के ब्रांड एंबेसडर बन

जाते हैं, तो इस पर काबू पाया सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी बात सुनता है।''

'मुस्लिम राजनेताओं के दो बच्चे दूसरों को नहीं देते सलाह'

बीजेपी नेता ने कहा, 'मुस्लिम राजनीतिक नेताओं के खुद दो बच्चे हैं, लेकिन वे कभी भी ग्रामीणों को बच्चों की सँख्या दो तक सीमित रखने की सलाह नहीं देते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर पहले के मुख्यमंत्री 'धर्मनिरपेक्ष नहीं होते' और 1971 या 1981 से ही उनकी तरह जनसँख्या विस्फोट के बारे में बोलते, तो राज्य को सकारात्मक परिणाम मिले होते।

उन्होंने कहा, 'अगर सरकार ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए और बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाए होते, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। मैं सिर्फ तीन साल में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अगर यह (मुसलमानों का बहुसँख्यक बनना) 2051 तक टल जाता है, तो हम मानेंगे कि हमने कुछ किया है।'

'नसबंदी करते हैं, तो सफल हो सकते हैं'

सरमा ने दावा किया कि जब वे काँग्रेस के कार्यकाल में असम के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब 2009 में एक लाख पुरुषों की नसबंदी की गई थी। उन्होंने कहा, 'धीरे–धीरे कार्यक्रम बंद कर दिया गया। अगर हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, तो हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी महिलाएँ पाँच–आठ बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। कुछ सक्षम करने वाले कारक हैं, जो सँख्या बढ़ाने में मदद करते हैं।'

– (एनडीटीवी व एवीपी से साभार)

अखिल भारतीय दो दिवसीय बैठक सम्पन्न

बैठक के उद्घाटन सत्र में डॉ सुरेन्द्र कुमार जैन (संयुक्त महामंत्री), केंद्रीय सह मंत्री विजय शंकर तिवारी, विनोद कुमार बंसल (राष्ट्रीय प्रवक्ता), सुरेन्द्र सिंह (प्रांत संगठन मंत्री, मध्यभारत), कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर संजीव अग्रवाल एवं किशन लाल शर्मा (कार्याध्यक्ष) की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

बैठक को केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र ने संबोधित किया। इस बैठक में प्रांतों के प्रचार प्रसार प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख, पत्रिका संपादक सहित टोली के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रकाश रंजन

प्रांत प्रचार प्रसार सह प्रमुख विहिप, झारखण्ड

जनजाति लड़कियों को ढाल बना हो रहा 'भूमि जिहाद'

वन और जंगलों से घिरा झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ के जनजातीय लोग बहुत सीधे–सादे होते हैं। बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि दूसरे समुदाय के लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन और अंतरजातीय विवाह बहुत आसानी से कर लेते हैं। झारखंड में जनजातीय समुदाय की लड़कियों के साथ शादी करके उनकी जमीन को हड़पने का षडयंत्र झारखण्ड के सभी ज़िलों में चल रहा है। झारखण्ड के मुसलमान के साथ–साथ बाँग्लादेशी मुसलमान भी बहुत तेज़ी से जनजातिय महिला के साथ विवाह कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियाँ वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति के कारण इसे नजर अंदाज कर रही हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के अनेक युवक शादीशुदा होने के बावजूद जनजातीय युवतियों को प्रेमजाल में फँसाकर दूसरी शादी कर ले रहे हैं। शादी के बाद जनजातिय महिला का नाम नहीं बदलते हैं। मुस्लिम युवकों द्वारा इन जनजातीय युवतियों के सहारे आरक्षण का लाभ लेकर, आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इस शादी के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोग जनजाति समाज में प्रवेश कर जाते हैं। लड़कियों को नौकरी आदि का लालच देकर, मानव तस्करी कर, देह व्यापार जैसे धंधे में धकेल देते हैं। झारखण्ड में जनजातियों के पास बहुत जमीन है। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम युवक इनकी समुदाय की लड़कियों से शादी करता है, तो बाद में उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 80 प्रतिशत पहाड़िया जनजातीय धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। इस तरह, इस जनजाति की सँख्या दिनों–दिन घटती जा रही है। जनजातीय महिलाओं को दूसरी बीवी बना कर घर लाना, फिर उनके माध्यम से चुनाव जीतना, जमीन पर कब्जा करना, यह एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। जनजातीय महिला के बाद उनकी संपत्ति गैर–जनजातीय पति की होती है। संथाल परगणा के क्षेत्र में बाँग्लादेशी घुसपैठी बहुत आसानी से प्रवेश कर जा रहे हैं, फिर आदिवासी लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं और वहाँ बस जा रहे हैं। बाँग्लादेश से मुस्लिम लोग बॉर्डर के निकट होने के नाते, बहुत आसानी से यहाँ आ जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के युवा लड़कों को टारगेट मिलता है, एक जनजातीय युवती को फंसाने पर रेट तय होता है। ये पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलता है। काम शुरू करने से पहले थोड़े पैसे, इतने, जितने में अच्छे कपड़े लिए जा सकें, लड़की को घुमाया–फिराया जा सके। अधिकांश आदिवासी परिवार गरीब हैं। उन्हें निशाना बनाया जाता है। मुलाकात की जाती है। धीरे से दोस्ती होती है और फिर रिश्ता बन जाता है। इसके लिए भी एक

नेटवर्क होता है, एक शख्स गाँव में चूड़ी–बिंदी बेचने वाला बनेगा। या फिर छोटी–मोटी दुकान खोल लेगा। वो ऐसे घरों की पहचान करेगा। दूसरा शख्स लड़की को संपर्क करेगा। गैर–आदिवासियों की आदिवासी लड़कियों से शादी में स्थानीय मुस्लिमों का भी सपोर्ट मिलता है। बस, इसके बाद राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं, पति ही सारे काम संभालता है, सारे फैसले लेता है। उनके जमीन पर कब्जा कर लेता है और बहुत आसानी से समाज का हिस्सा बन जाता है। माइनिंग इलाकों में ऐसी शादियाँ बहुत हो रही हैं, जहाँ जमीन के नीचे कोयला है। यहाँ एसपीटी एक्ट के चलते कोई भी गैर–आदिवासी जमीन खरीद नहीं सकता, लेकिन आदिवासियों के पास तो ये जमीन है। शादी के बाद अवैध खनन चलने लगता है। इसी तरह चुनाव में भी आदिवासी लड़कियों का सहारा लेकर चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है। नाम किसी और का होता है, कंट्रोल किसी और का, यह सब व्यापार की तरह हो रहा है। जिस लड़की से फायदा नहीं दिखता, उस लड़की को मार भी दिया जाता है। लैंड–जिहाद झारखण्ड के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। संथाल परगना एक्ट के तहत संथाल जिलों में जमीनों की खरीदी–बिक्री नहीं हो सकती। यहाँ तक कि लीज पर भी नहीं दी जा सकती। जमीन के मूल मालिक ही उसके मालिक रहते हैं। इसके पीछे सोच थी कि ट्राइबल और दूसरी पिछड़ी जातियों की जमीन सुरक्षित रहे। इसमें संथाल परगना के 6 जिले शामिल हैं– गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। पिछले कुछ दिनों से यहाँ जमीन 'दान' की जा रही है। आदिवासी एक दानपत्र बनवाते हैं, जिसमें वे अपनी जमीन को किसी को भी दे देते हैं। ये गिफ्ट लैंड है। सरकार के पास इसका कोई हिसाब–किताब नहीं। गिफ्ट लैंड पर संथाल से बाहरी लोग, या घुसपैठिए, चाहे जो बस जाएँ, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। बस नोटरी के पास जाकर एक कागज बनवा लिया जाता है। सरकारी नजर में इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जरूरतमंद आदिवासी थोड़े पैसों के लिए ऐसा कर लेते हैं। जैसे किसी को शादी या इलाज के लिए 1 लाख रुपये चाहिए, वो अपनी जमीन दान कर देगा, बदले में उतने पैसे ले लेगा। जमीन की कीमत भले अच्छी–खासी हो, लेकिन वो वक्ती जरूरत में फंस जाता है। कई बार आदिवासी के जमीन देने के बाद वो एक से दूसरे हाथ में जाती रहती है। एक समुदाय से दूसरा समुदाय उसे लेता रहता है। पुरे झारखण्ड में लैंड जिहाद चल रहा है। सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है।

प्रांत सत्संग अभ्यास वर्ग

निवाड़ी– विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत का प्रांत सत्संग अभ्यास वर्ग सह दो दिवसीय बैठक 20 से 21 जुलाई 2024 दिन शनिवार–रविवार को श्री राम राजा सरकार ओरछा जिला निवाडी में सम्पन्न हुई। उद्घाटन सत्र में अखिल भारतीय सत्संग प्रमुख श्रीमान बसंत जी पंथ, महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान जितेंद्र जी, प्रांत मंत्री श्रीमान उमेश चंद्र जी मिश्र, क्षेत्र संयोजिका केंद्रीय सदस्य (सत्संग) एवं प्रांत की पालक श्रीमती सुनीता दीदी गर्ग एवं श्री राजेंद्र सिंह (प्रांत सत्संग प्रमुख) ने वर्ग में विभिन्न सत्रों में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

अखिल भारतीय अधिकारी श्रीमान बसंत जी ने सभी से जीवन में एवं कार्य वृद्धि सत्संग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि हम सभी को सत्संग में जरूर सहभागी होना चाहिए। प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान जीतेंद्र जी ने कहा कि प्रत्येक समिति में सत्संग आवश्यक है, इसके बगैर समिति अधूरी है, इसके लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए।

प्रांत मंत्री श्रीमान उमेशचंद्र जी मिश्र ने चारों प्रकार के सत्संग प्रत्येक नगर में करवाने पर बल दिया। प्रांत सह मंत्री डॉ राजबहादुर जायसवाल, मालती दीदी रैकवार, प्रांत सह संयोजिका (दुर्गा वाहिनी) सीमा सिंह ने सम्बोधित कर, सत्संग के महात्व पर विचार पर प्रकट किए। निवाड़ी जिले के माननीय जिलाध्यक्ष एवं वर्ग प्रमुख श्री उज्जवल पटेरिया, व्यवस्था प्रमुख मृदुल जी त्रिपाठी जी ने वर्ग में उपस्थित व्यवस्था में लगे, कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। अंत में जिला मंत्री रूपेश दांगी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोगी बंधुओं का आभार व्यक्त किया।

गुरुकुल प्रभात आश्रम में गंगावतरण महोत्सव और स्नातक सम्मेलन का भव्य आयोजन

मेरठ। लोक में गंगावतरण का विशेष दिन गंगा दशहरा पर्व के रूप में प्रसिद्ध है, जो इस वर्ष 16 जून 2024 को था। इस अवसर पर गुरुकुल प्रभात आश्रम, मेरठ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यज्ञ का समायोजन किया गया। यज्ञ में ब्रह्मा गुरुकुल के कुलाधिपति और ऋत्विग् के रूप में गुरुकुल के ही ब्रह्मचारी रहे। यज्ञ के यजमान दौराला के जगत सिंह जी और उनके पुत्र, पुत्रवधु रहे। यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में गुरुकुल के कुलाधिपति जी ने गंगावतरण और दान के महत्त्व को बताते हुए प्रतीकात्मक रूप में राष्ट्र रूपी यज्ञ में सम्मिलित होकर अपनी आहुति के समर्पण के लिए कहा। अपने उद्बोधन से कुलाधिपति महोदय ने 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' और 'राष्ट्र रूप यज्ञ' के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भागीरथ अथाह प्रयत्नों से धरा पर गंगा को कल्याण के लिए लाने में समर्थ हुए, उसी प्रकार मानव को राष्ट्र कल्याण की भावना से प्रेरित होकर समस्त कार्य करने चाहिए। कुलाधिपति जी गंगा, यमुना, सरस्वती और अयोध्या के माध्यम से समस्त शरीर की दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहा कि जब हम अपनी बुराई छोडेंगे, तभी हमारे अन्दर अच्छाई स्थापित हो सकेगी। यज्ञ के विशेष कार्यक्रम में ब्रह्मचारियों द्वारा अपने बौद्धिक संपदा के रूप में भजन और भाषणों आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की।

गुरुकुल के महामन्त्री प्रो. वाचस्पति मिश्र जी ने वैदिक सँस्कृति के संरक्षण, संवर्धन के विषय में भी बताया तथा सभी अभ्यागतों का हृदय से साधुवाद अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम की समाप्ति शान्तिमंत्र के द्वारा समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करने के पश्चात हुई। गंगा दशहरा के विशेष अवसर पर इस गांगेय यज्ञ में श्रद्धालु भक्त जनों की स्मृति पर आयोजित यज्ञ में पर्याप्त सँख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिभागिता करते हुए आहुति समर्पित की।

16–17 जून 2024 को गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्नातक परिषद् के द्वारा गुरुकुल में 16वें द्विदिवसीय स्नातक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्नातक परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष आचार्य वेदकुमार और वर्तमान संयोजक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के डॉ. रवि प्रभात रहे। इसके प्रथम दिवस का प्रारंभ कवि सम्मेलन के माध्यम से हुआ। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने राष्ट्र से संबद्ध सँस्कृत और हिंदी भाषा में स्वयं द्वारा निर्मित कविताओं को प्रस्तुत किया। इस सत्र के अध्यक्ष संपूर्णानंद सँस्कृत विश्वविद्यालय के डॉ. नितिन रहे।

सम्मेलन के द्वितीय दिवस का आरम्भ सभी स्नातकों के परिचय से हुआ। स्नातकों ने अपने परिचय में अपनी उपलब्धियों के साथ अपने अब तक के अनुभव सभी के सम्मुख प्रस्तुत किए। इस सत्र के संचालक स्टीफंस कॉलेज के डॉ. अभय रहे। सम्मेलन के राष्ट्रविमर्श सत्र का संचालन लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉ. सत्यकेतु जी ने किया। डॉ. योगेन्द्र भानु जी ने कथानक किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, को प्रतिपादित किया। उन्होंने हाथरस की घटना के कथानक को संदर्भित करते हुए भारत में तत्काल हुए प्रभाव को बताया। उन्होंने बताया कि कथानक किस प्रकार से पाकिस्तान की स्थापना में कारण बना। एक कथानक को अपने शोध के माध्यम से विमर्श करके लोक में एक पूर्ण प्रारूप दे दिया जाता है। कोई भी प्रतिक्रिया सोच–विचार करके देनी चाहिए। कथानकों के विमर्श और यथार्थ को समाज के सम्मुख नहीं लाया जाता है, इसकी इस समय राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, राष्ट्र कार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। राष्ट्र के लिए संगठन की विशेष आवश्यकता होती है। लोगों को जागरूक करने के लिए अपने विचारों को मजबूत करना चाहिए। ज्ञानेन्द्र जी ने वीरभोग्या वसुन्धरा को बताने के लिए श्रीराम के सम्मुख नतमस्तक हुए समुद्र का वृत्तान्त बताया। उत्तम जी ने कहा कि हर स्थिति में सबल होने के लिए धनबल, जनबल की आवश्यकता के साथ अपने बच्चों को सँस्कार देने चाहिए। राष्ट्र विमर्श सत्र के अध्यक्ष जी ने कहा कि छद्म कथानक से मुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए और यह किस प्रकार से लागू किया जाता है, को बताया। आप पर छद्म कथानक स्थापित न किया जा सके, ऐसा बनिए। छद्म कथानक कमजोरों पर लागू होता है, न कि बलिष्ठों पर।

स्नातक सम्मेलन की समाप्ति गुरुकुल के कुलाधिपति जी के पाथेय वक्तव्य के रूप में हुई। उन्होंने विशेषतः कहा कि संगठन में शक्ति होती है। अतः समस्त परिवार कहीं भी रहे, वहाँ संगठन में रहना चाहिए। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने तत्काल में सङ्घ की महिमा को जानकर ही आर्यसमाज के रूप में सङ्घ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण, सुरक्षा भी तभी सम्भव है, जब आपका संगठन होगा। यदि संगठन नहीं है, तो अँग्रेजों ने जिस प्रकार से संगठन के अभाव का लाभ उठाया था, वैसा ही परिणाम होगा। अतः स्वयं के अस्तित्व होने पर ही राष्ट्र को केंद्रीकृत करके कार्य संभव है।

gprabhatashram@gmail.com

मंगलौर में विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी परांडे के साथ
'एक संवाद बैठक' कार्यक्रम आयोजित

विश्व हिंदू परिषद, मंगलोर ने एक 'इंटरेक्शन मीटिंग' का आयोजन किया है। मिलिंद परांडे, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। यह कार्यक्रम पिछले रविवार, 07–जुलाई–2024 को रेशमा मेमोरियल ऑडिटोरियम, शक्तिनगर मंगलोर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। एक संगठन के रूप में विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत हुई, वर्ष 1964 में और अब अपनी 60वीं वर्षगाँठ पूरी करने पर, इस अवसर पर विहिप ने एक आयोजन किया है।

बैठक का सारांश

इस संवाद बैठक में कई राजनीतिक नेता और महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। मंगलोर, एनआईटी के सुरथकल, मंगलोर के सीईओ और इंजीनियरों सहित 4 कॉलेज के विद्यार्थी, सिटी कॉरपोरेशन, सँस्थानों के निदेशक, अग्रणी डॉक्टर, अधिवक्ता, बिल्डर्स और डेवलपर्स, मंगलोर के उद्योगपति और सामाजिक सेवा संगठनों के नेता सहित 125 से अधिक आमंत्रित एकत्रित हुए और लगभग 40 प्रतिभागी विहिप में नए थे। कार्यक्रम में पूरे समय वर्तमान स्थिति और रास्ते पर स्वस्थ एवं सार्थक चर्चा हुई। आगे अनेक प्रश्नों का श्री मिलिंद परांडे ने विस्तार से उत्तर दिया और अवगत कराया। समाज सेवा और हमारे राष्ट्र के निर्माण के साथ–साथ आगे बढ़ने में विहिप का योगदान, भारत को विश्व गुरु बनाने का सामूहिक प्रयास। इसके अलावा उन्होंने प्रमुख मील के पत्थर बताए और पिछले 60 वर्षों में विहिप की उपलब्धियाँ भी बताईं।

उन्होंने हमारे देश में घटती प्रजनन दर जो अब 1.92 है, पर चिंता व्यक्त की 2.10 की वैश्विक दर से तुलना करने पर। हमारे देश में मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर है 2.30 से अधिक जो कि हिंदुओं के अनुपात से कहीं अधिक है। विशेषकर जैन समाज को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रति महिला 1.40 जन्म दर में कमी। साथ ही उन्होंने हमारे देश में पिछले ढाई वर्षों में लगभग 13 लाख महिलाओं के लापता होने पर चिंताओं के बारे में भी बताया। हमारे देश में हिंदू आबादी राष्ट्र के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ नहीं है। हिंदू समाज को जल्द से जल्द निर्माण कर इस समस्या से उबरना होगा। असंतुलन से बचाने के लिए जागरूकता लानी होगी।

प्रश्न और उत्तर

1. हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की क्या योजना है ?

उत्तर – रिहाई के लिए अधिवक्ताओं और संतों के साथ विहिप में पूरी प्लानिंग चल रही है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए। इसका पता लगाने के लिए विहिप की ओर से पहले ही एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। सरकार की भागीदारी के बिना मंदिर को चलाने का उचित समाधान और सुरक्षा की योजना, मंदिर निधि, परिसंपत्तियाँ और संपत्तियाँ। एक मॉडल योजना अब तैयार है और पायलट रन किया जाना है, किसी भी राज्य में। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कार्यवाही चल रही है। अदालत और अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।

2. सभी राज्यों में धर्मांतरण का काम चल रहा है, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों को इन समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या कार्ययोजना है ?

उत्तर – केंद्र द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद यह समस्या नियंत्रण में आ जाएगी। हमारे देश में सरकार द्वारा नियंत्रण के लिए एक्ट बनाने की तैयारी चल रही है। रूपांतरण–उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही एक अधिनियम लागू कर दिया है। लेकिन सभी अलग हैं। केंद्र सरकार ने कई एनजीओ के बैंक खातों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें जब्त कर लिया, जो अवैध रूप से विदेशी फंड ले रहे हैं और धर्मांतरण के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ऐसी कार्ययोजना से धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र सरकार को और अधिक परेशान किया गया।

3. विपक्षी नेता ने संसद में हिंदुओं का अपमान किया, लेकिन हिंदुओं की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं क्यों..?

उत्तर – विहिप की केंद्रीय टीम पहले ही विपक्ष नेता के बयान पर विरोध जता चुकी है। कई संतों और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया। उसने कहा केवल विहिप या संतों या अन्य समितियों

का विरोध ऐसे मुद्दों के लिए पर्याप्त नहीं है। देश भर के हिंदू हमारी ताकत और एकता दिखाने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाएँ। ऐसे बयान पर विरोध जताया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी।

4. हमारे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून कब लागू होने जा रहा है ?

उत्तर – यूसीसी कानून को पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड राज्य में लागू किया जा चुका है। जाँच के बाद फायदे और नुकसान को समझाकर अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।

5. जिन लोगों ने आत्महत्या की उनमें 95 प्रतिशत लोग हिंदू हैं, क्यों ?

उत्तर – इसका कारण जीवनशैली में बदलाव, लोगों का आत्मविश्वास खोना और अवसाद का होना है। (मनोबल और आत्मबल में कमी) हिंदू धर्म की सँस्कृति या सँस्कार का पालन नहीं किया जाता है। लोग अपने घर पर, माता–पिता अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय केवल बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सभी पहलुओं में व्यक्तिगत विकास। आजकल माता–पिता बच्चे के अंक प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, परीक्षा में 90 से अधिक अंक आने पर भी।

6. मंगलोर बंदरगाह में अधिकांश व्यवसाय मुसलमान संभालते हैं। हिंदुओं के लिए अवसर कम क्यों.?

उत्तर – हम केवल एक समुदाय के लिए नियम नहीं बना सकते। हिंदू बिजनेस करने वाले लोग होंगे। कार्य निविदाओं में प्रतिस्पर्धी। इसके अलावा हिंदू युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी योजना का उपयोग करना होगा, सभी स्थापित व्यवसायी इस संबंध में उनका मार्गदर्शन करें और उनकी मदद करें।

प्रस्तुति : शरण कुमार पंपवेल
विश्व हिंदू परिषद–मंगलौर

स्वास्थ्य

सविराम उपवास/रात्रि में फलाहार

आजकल निष्क्रिय जीवनशैली (Sedentary lifestyle) वालों के मध्य इण्टरमिटेण्ट फास्टिंग की बड़ी चर्चा हो रही है। उपापचय (Metabolism) सम्बन्धी अधिकांश समस्याओं के लिए इसे एक अति विश्वसनीय प्रभावी उपचार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसमें प्रातःकालीन पक्वान्नभक्षण के ८ घण्टे उपरान्त दिन का अन्तिम पक्वान्नभक्षण प्रस्तावित है। यथा यदि किसी ने प्रातः १० बजे पक्वान्नभक्षण किया हो, तो उसे दिन का अन्तिम पक्वान्नभक्षण सायंकाल ६ बजे कर लेना चाहिए। इसमें यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि अग्न्याशय (pancreas) दिन में सक्रिय होता है, अतः प्रातःकाल ग्रहण किया गया पक्वान्न, प्रायः ८ से १० घण्टों में पच जाता है, किन्तु सूर्यास्त के उपरान्त अग्न्याशय मन्द हो जाता है, अतः तब ग्रहीत पक्वान्न १२ से १६ घण्टों में पच पाता है।

इण्टरमिटेण्ट फास्टिंग में सायंकालीन शौचनिवृत्ति पर कोई जोर नहीं है। केवल खाने–भर की बात की जाती है और यही इसका प्रथम दोष है। वस्तुतः सायंकालीन शौचनिवृत्ति के अभ्यस्तों को इसके उपरान्त ही खाना–पीना चाहिए। विलम्ब होने पर उष्ण जल अथवा कोई काढ़ा लिया जा सकता है। शौचनिवृत्ति के उपरान्त १५ से ३० मिनट व्यायाम आदि भी करना चाहिए और उसके ३० से ५० मिनट बाद ही आहार लेना चाहिए।

इण्टरमिटेण्ट फास्टिंग में दूसरा दोष यह है कि जब यह सुविदित ही है कि सूर्यास्त के उपरान्त अग्न्याशय मन्द हो जाता है, तो सूर्यास्त के उपरान्त पक्वान्नभक्षण किया ही क्यों जा रहा है। सायंकाल पक्वान्नभक्षण के स्थान पर फलभक्षण क्यों नहीं किया जाता? सायंकाल ग्रहीत फलों के पचने में ६ से ८ घण्टे ही लगेंगे न कि १२ से १६ घण्टे। इससे न केवल अच्छी नींद आएगी अपितु न्यून समय में पूरी भी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सायंकालीन पक्वान्नभक्षण के उपरान्त ३–४ घण्टे जागते रहना भी आवश्यक होता है, ताकि पक्वान्न के सम्यक् पाचन हेतु जल पिया जा सके, जबकि फलभक्षण के उपरान्त जल पीने के लिए जागते रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फलों में अन्तर्निहित जल होता है, अतः फलभक्षण के उपरान्त तत्काल सोया जा सकता है। यदि किसी कार्यवश फलभक्षण के उपरान्त जागते रहना पड़े और पुनः क्षुधा लगे, तो पुनः फलभक्षण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रातःकाल जागने के उपरान्त शीघ्र ही पक्वान्नभक्षण भी किया जा सकता है, क्योंकि सोने के पूर्व ग्रहीत आहार के पच चुकने के कारण क्षुधा लग ही रही होती है। प्रातःकाल जागने पर क्षुधा का अनुभव होना, अच्छे स्वास्थ्य की कसौटी है। दिन में केवल एक बार ही पक्वान्न ग्रहण करने की दशा में अति पौष्टिक और गरिष्ठ आहार भी लिया जा सकता है, जो सायंकालपर्यन्त ऊर्जा देता रहे।

सायंकालीन फलाहार के विषय में एक विकल्प भी है कि यदि सायंकालीन शौचनिवृत्ति सूर्यास्त के १–२ घण्टे पूर्व हो चुकी हो, तो फलों के स्थान पर लौकी/तोरई का शाक और दलिया/चावल लिया जा सकता है। खिचड़ी भी ली जा सकती है, किन्तु सायंकालीन शौचनिवृत्ति विलम्बित हो जाने पर फलाहार ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। सेब अच्छा फल है। आधा–एक किलोग्राम भी लिया जा सकता है। रात्रि में कच्चे और रसीले की अपेक्षा पका और मीठा सेब अधिक लाभप्रद है। भली–भाँति चबाते हुए सेवन करें। अमरूद तो पका ही अच्छा होता है। पका अमरूद कब्ज दूर करता है, किन्तु कच्चा अमरूद दस्तावर भी हो सकता है अतः अमरूद के साथ में केला अथवा सेब लेना लाभप्रद होता है। सलाद की भाँति काटकर सेवन करें। फलाहार अरुचिकर होने की दशा में दुग्धसेवन भी किया जा सकता है। अतः दिखावे पर न जाएँ, आप अपनी बुद्धि भी लगाएँ!

राँची, झारखंड में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रखंडश:
व्यापक कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दृष्टी से सेवा कार्यों के आयोजन पर विस्तृत चर्चा हुई।

न्यूजीलैंड की हिंदू परिषद ने दूसरे हिंदू बुजुर्ग सम्मेलन की घोषणा की।

हुबळी, उत्तर कर्नाटक प्रांत में विहिप द्वारा चलनेवाले सभी विद्यालय, छात्रावासों के न्यासियों की बैठक में हिंदू समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में हम और क्या कर सकते हैं, इस पर विचार तथा व्यापक योजना बनी।

मंगलोर, दक्षिण कर्नाटक में लगभग 600 विद्यार्थियों के साथ संवाद के कार्यक्रम में भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस पर चर्चा-जिज्ञासा समाधान हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराण्डे।

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6
email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 28.07.2024
प्रेषण तिथि : 29-30 (अग्रिम-पाक्षिक)

विहिप के केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभाग की दो दिवसीय बैठक अवधपुरी, भोपाल में सम्पन्न

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी–82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली–110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर–6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी